अक्टूबर 2020

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
बी.एस. जामोद

समन्वय
मध्यप्रदेश माध्यम

परामर्श
प्रद्युम्न शर्मा

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क :
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स
भोपाल–462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755–4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

4 ▸ गांव में रहने वाले लोग स्वामित्व योजना के तहत आत्मनिर्भर बनेंगे
6 ▸ ग्रामीण विकास के द्वार खोले प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ने
7 ▸ मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का हुआ वर्चुअल लोकार्पण
9 ▸ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और ग्रामीण अधोसंरचाओं का निर्माण
10 ▸ प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत इस वर्ष तीन गुना काम
12 ▸ आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए आत्मनिर्भर गांव
13 ▸ आत्मनिर्भरता का आधार तैयार करेंगी वित्त आयोग की अनुशंसाएँ
16 ▸ ग्रामीण अंचलों में तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग कर उन्हें पहचान दिलाएगी प्रदेश सरकार
18 ▸ प्रदेश में हर दो माह में होगी ग्राम सभा
19 ▸ ग्रामों में स्वच्छ पेयजल के लिए समयबद्ध कार्यक्रम पर अमल
20 ▸ आजीविका समूह से आत्मनिर्भर हुईं रानी
21 ▸ आजीविका समूहों ने दी पहचान : प्रतिभा के दम पर परिवार की सत्ता महिलाओं के हाथ
25 ▸ ग्रामीण गरीब हुए आत्मनिर्भर
28 ▸ नक्षत्र वाटिका का सृजन : आपदा को अवसर में बदलने की अनूठी पहल
30 ▸ गांव की पहली शिक्षित बेटी सरपंच मोना कौरव ने बदल दी गांव की तस्वीर
32 ▸ 15वें वित्त आयोग क्रियान्वयन हेतु डिस्ट्रिक एक्शन प्लॉन
36 ▸ सबकी योजना सबका विकास अंतर्गत 2021–22 की ग्राम पंचायत विकास योजना
39 ▸ सबकी योजना सबका विकास अभियान एवं मिशन अन्त्योदय सर्वे कार्यक्रम
41 ▸ मोबाइल एप्लीकेशन को स्मार्ट फोन पर इंस्टाल करने एवं एप के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर से कोविड–19 संबंधी जानकारी अपलोड करने हेतु निर्देश जारी
47 ▸ सबकी योजना सबका विकास ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु विशेष अभियान

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका के सितम्बर अंक से हमें जानकारी मिली कि प्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह मनाया गया जिसके तहत गरीब तबके के उत्थान के लिये अन्न उत्सव, पोषण महोत्सव, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि प्रदाय, वनाधिकार पत्रों का वितरण, स्व–सहायता समूह क्रेडिट कैम्प आयोजन, किसान कल्याण के तहत किसान क्रेडिट कार्ड वितरण, संबल योजना के हितलाभ, ग्रामीण पथ व्यवसायियों को ऋण वितरण तथा विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गरीब कल्याण की दिशा में अच्छा कदम है।

– सुमन सोनी
भोपाल (म.प्र.)

संपादक जी,

पंचायिका के सितम्बर अंक में हमने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आयोजित स्व–सहायता समूह क्रेडिट कैम्प के बारे में पढ़ा। ग्रामीण महिलाओं के स्वावलम्बन के लिए 134 करोड़ रुपये का ऋण वितरण तथा 70 करोड़ रुपये के रिवाल्विंग फंड की स्वीकृति वाला यह विशेष आयोजन स्वागत योग्य है। प्रदेश सरकार ने स्व–सहायता समूहों को दी जाने वाली राशि तीन सौ करोड़ से बढ़ाकर 1400 करोड़ कर दी है। स्व–सहायता समूहों के लिए बढ़ाई गयी इस राशि से ग्रामीण महिलाएं आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर होंगी।

– महेश शर्मा
जबलपुर (म.प्र.)

संपादक जी,

पंचायिका के सितम्बर अंक को पढ़कर हमने विस्तार से जाना कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ब्याज रहित 10 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत कर उन्हें रोजगार शुरू करने के नवीन अवसर प्रदान किये हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान पथ विक्रेताओं का व्यवसाय लगभग बंद हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए एक अवसर बनकर आयी है।

– राजेश सिंह कुशवाहा
विदिशा (म.प्र.)

संपादक जी,

पंचायिका के सितम्बर अंक में प्रकाशित गृह प्रवेशम् कार्यक्रम की रिपोर्ट को पढ़कर लगा कि वाकई देश के प्रधानमंत्री का सबको आवास मुहैया कराने का स्वप्न आकार ले रहा है। आयोजन में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख 75 हजार आवासों के लाभार्थियों को उनके घरों की चाबी प्रदान की गयी। इतने वृहद स्तर पर घरों का आवंटन और उनका निर्माण किया जाना मध्यप्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

– विवेक मालवीय
भोपाल (म.प्र.)

बी.एस. जामोद
संचालक

प्रिय पाठको,

यह अक्टूबर माह हमारे लिए उत्साह लेकर आया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित लोक कल्याण के लिए कई योजनाओं, कार्यों और गतिविधियों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं पंचायत राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ स्वामित्व योजना की। विगत 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना के तहत अधिकार अभिलेख वितरण का शुभारंभ किया।

शुरुआत 6 राज्यों के 763 गांवों से की गयी। इसमें मध्यप्रदेश के 44 गांव शामिल हैं। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार देने वाली इस योजना से ग्रामीणों में एक नवीन आत्मविश्वास का निर्माण होगा। इस अनूठी योजना के शुभारम्भ अवसर पर केन्द्रित आलेख को हमने स्वामित्व योजना स्तम्भ में शामिल किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई 12 हजार 960 सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। कोरोना काल में ग्रामीणों को रोजगार देने के साथ ग्रामीण आवागमन की सुगमता के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले कार्य विभाग का उत्साहवर्धन करते हैं। लोकार्पण समारोह के इस विशेष समाचार को हमने ग्राम सड़क स्तम्भ में समाहित किया है। खास खबरों में प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत इस वर्ष तीन गुना काम, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए आत्मनिर्भर गांव तथा विभागीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया द्वारा ली गयी बैठक की जानकारी प्रकाशित की जा रही है।

कोरोना काल में ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करना एक बड़ी चुनौती थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आपदा को अवसर में बदलते हुए श्रमिकों को रोजगार देने के साथ पंचायतों के माध्यम से 106 करोड़ 4 लाख रुपये की लागत से 1584 अधोसंरचनाओं का निर्माण किया। इन ग्रामीण अधोसंरचनाओं का मुख्यमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर को वर्चुअल लोकार्पण किया गया। यह रिपोर्ट पंचायत राज स्तम्भ में प्रकाशित की जा रही है। विगत दिनों 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं जारी कर दी गयी हैं। आपकी जानकारी के लिए इसका विस्तृत विवरण पन्द्रहवां वित्त आयोग स्तम्भ में प्रकाशित है।

आजीविका स्तम्भ में इस बार शामिल है। आजीविका समूहों ने दी पहचान और ग्रामीण अंचलों में तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग कर उन्हें पहचान दिलाएगी प्रदेश सरकार। विगत दिनों प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना लागू की गयी, इस योजना से लाभान्वित हुए कुछ हितग्राहियों से हुई बातचीत पर आधारित रिपोर्ट को परिणाम स्तम्भ में शामिल किया है। मध्यप्रदेश में आपदा से उपजा सृजन का अनुपम उदाहरण है बैतूल जिले के कान्हावाड़ी ग्राम पंचायत की नक्षत्र वाटिका। इस अनूठी वाटिका को आप जान सकते हैं नवाचार स्तम्भ है।

हमारी पंचायत में हम लेकर आये हैं नरसिंहपुर जिले के सड़ूमार की सरपंच मोना कौरव द्वारा किये गये विशेष कार्य और उपलब्धियां। हर बार की तरह इस बार भी आपके मार्गदर्शन के लिए पंचायत गजट में शासकीय आदेश प्रकाशित किये जा रहे हैं।

कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(बी.एस. जामोद)
संचालक, पंचायतराज

गांव में रहने वाले लोग स्वामित्व योजना के तहत आत्मनिर्भर बनेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अक्टूबर को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। मध्यप्रदेश सहित देश के 6 राज्यों के 763 ग्रामों में स्वामित्व योजना का अमल शुरू हो गया। इसमें मध्यप्रदेश के 44 गांव शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हितग्राहियों से बात भी की।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 'रिकॉर्ड ऑफ राइट्स' देने के उद्देश्य से केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को उनके संपत्ति के कार्ड का वितरण शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अक्टूबर को की। उल्लेखनीय है कि स्वामित्व योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल, 2020 को की थी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांवों में भू-संपत्ति मालिकों को 'स्वामित्व' योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड बांटने की योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत लगभग एक लाख भू-संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस से मिलने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें फिजिकल तौर पर संपत्ति कार्ड बांटेंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कई लाभार्थियों से भी बात की। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना ने देश के गांव और गरीब लोगों को बड़ी ताकत दी है। स्वामित्व योजना के तहत दिया गया दस्तावेज एक कानूनी कागज है। इस योजना से देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में ये बड़ा कदम है। गांव में रहने वाले लोग स्वामित्व योजना के तहत आत्मनिर्भर बनेंगे। अगले 4 साल में हर गांव में इस तरह के प्रॉपर्टी के कागज देने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना से गांवों में जमीन से जुड़े ज्यादातर विवाद खत्म हो जाएंगे। स्वामित्व योजना से अभी 6 राज्यों के 763 गांवों के लोगों को फायदा मिलेगा। इसमें मध्यप्रदेश के 44 गांव शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने केन्द्रीय पंचायत राज, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं उनके मंत्रालय को इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत के लिए बधाई दी। प्रारंभ में केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने स्वागत उद्बोधन दिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में मिंटो हॉल स्टुडियो, भोपाल से शामिल हुए।

प्रधानमंत्री ने कार्ड धारकों से कहा

आज जिन एक लाख लोगों को अपने घरों का स्वामित्व पत्र या प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, जिन्होंने अपना कार्ड डाउनलोड किया है, उन्हें मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज जब

मुख्य बिन्दु

- ड्रोन के जरिए गांवों की जमीनों का सीमांकन करने की योजना।
- गांव की हर प्रॉपर्टी का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा।
- योजना का उद्देश्य लोगों को उनके घर और जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड देना।
- गांव के हर घर और जमीन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये कार्ड राज्य सरकारें बनाएंगी।
- इसका इस्तेमाल बैंकों से कर्ज लेने के अलावा अन्य कामों में भी होगा।
- सरकार ने 2024 तक देश के 6.62 लाख गांवों तक यह योजना पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

आप अपने परिवार के साथ बैठोगे, शाम को जब साथ खाना खाओगे, तो मुझे पता है कि पहले कभी इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी आज होगी। आप अपने बच्चों को गर्व से बता सकोगे कि देखिए अब हम विश्वास से कह सकते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपको ये विरासत में मिलेगी। हमारे पूर्वजों ने जो दिया था कागज नहीं थे, आज कागज मिलने से हमारी ताकत बढ़ गई। आज की शाम आपके लिए बहुत खुशियों की शाम है, नए-नए सपने बुनने की शाम है और नए-नए सपने के विषय में बच्चों के साथ बातचीत करने की शाम है। इसलिए आज जो अधिकार मिला है उसके लिए बहुत बधाई। यह अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आपका ही है, आपके घर में आप ही रहेंगे। आपके घर का क्या उपयोग करना है, इसका निर्णय आप ही करेंगे। ना सरकार कुछ दखल कर सकती है ना अड़ोस-पड़ोस के लोग। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। हम सभी इसके साक्षी बन रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने डिण्डोरी के दशरथ से किया संवाद

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश के हितग्राहियों में से चयनित डिण्डोरी जिले के एक हितग्राही श्री दशरथ सिंह मरावी से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्री दशरथ सिंह से पूछा कि ग्राम में ड्रोन आने से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ और कागज मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं आई। श्री दशरथ मरावी ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को उत्तर दिया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। यह अच्छा कार्य हो गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लाभान्वित हितग्राहियों से कहा कि अब आपकी संपत्ति पर कोई भी गलत नजर नहीं रख पाएगा। प्रधानमंत्री ने अन्य राज्यों के हितग्राहियों से भी बातचीत की।

विकास कार्यों का संचालन होगा आसान

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन के माध्यम से मैपिंग सर्वे और लैण्ड रिकॉर्ड संधारण के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जाएगा। स्वामित्व योजना लोगों को न सिर्फ प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करवाएगी बल्कि विकास कार्यों का संचालन भी आसान हो जाएगा। पंचायतों के कार्य भी तकनीक के माध्यम से पारदर्शी तरीके से पूरे हो रहे हैं। निर्मित कार्यों के लिए जियो टैगिंग को अनिवार्य किया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उनकी जब ग्रामीणों से बात हुई तो ज्ञात हुआ कि स्वामित्व योजना के लिए ग्राम में ड्रोन के उपयोग से ऊंचाई से ली गई ग्राम की तस्वीर देखकर ग्रामवासी बहुत प्रसन्न होते हैं। उनमें गांव के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। स्वामित्व योजना संपत्ति का रिकॉर्ड बन जाने से आत्मविश्वास को बढ़ाने और विवादों को समाप्त करने में भी बहुत उपयोगी है। योजना में सवा करोड़ व्यक्तियों ने पंजीयन करवाया है। निश्चित ही यह योजना ग्रामों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाएगी।

स्वामित्व योजना की विशेषताएं

- पंचायती राज मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2020 को योजना प्रारंभ की।
- योजना देश में 4 वर्ष में चरणबद्ध रूप में क्रियान्वित होगी।
- देश के 6.62 लाख ग्राम कवर होंगे।
- पायलेट फेस में मध्यप्रदेश सहित उत्तरप्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान शामिल हैं।
- भू-संपत्ति मालिकों को मोबाइल फोन पर एसएमएस से लिंक देकर संपत्ति कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा होगी।
- राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण करेंगी।
- इस योजना से भू-संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे।
- अलग-अलग राज्यों में संपत्ति कार्ड को अलग-अलग नाम दिए जाएंगे। मध्यप्रदेश में संपत्ति कार्ड को अधिकार अभिलेख, महाराष्ट्र में सनद, उत्तरप्रदेश में घरौनी, हरियाणा में टाइटल डीड, कर्नाटक में रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड, (आरपीओआर) नाम दिया गया है।

● **प्रवीण पाण्डेय**
लेखक पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं

ग्रामीण विकास के द्वार खोले
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ने

> स्वामित्व योजना के तहत पहले साल 10 जिलों के 10 हजार गांव चयनित किये गये हैं। भारत सरकार की इकाई सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से ग्रामों में बसाहट वाले इलाकों पर ड्रोन में नक्शों का निर्माण और इस आधार पर डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से अधिकार अभिलेखों का निर्माण किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में डिण्डोरी, सीहोर और हरदा में आबादी सर्वे जून माह से शुरू किया गया है। इस योजना से गांव की दिशा और दशा बदलेगी। ग्रामीण क्षेत्र के हर संपत्ति धारक को संपत्ति का प्रमाण पत्र एवं भूमि स्वामित्व प्राप्त होगा जिससे वह बैंक से ऋण लेकर अपने लिए रोजगार के नवीन अवसर सृजित कर सकेंगे।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने 11 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष हरदा में स्वामित्व योजना के शुभारंभ अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ने गांव के विकास के द्वार खोल दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रव्यापी योजना के शुभारंभ अवसर पर मध्यप्रदेश के हरदा और डिण्डोरी जिले में भी योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना में 6 राज्यों के चुनिंदा जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। इनमें हरदा, सीहोर और डिण्डोरी सम्मिलित हैं। हरदा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री श्री पटेल ने जिले के 12 हितग्राहियों अजब सिंह ग्राम जिजगांव कला, अशोक ग्राम नाहड़िया, नर्मदा प्रसाद राठौड़ ग्राम पिड़गांव, ताराचंद ग्राम पिड़गांव, आनंद भाटी ग्राम झाड़पा, भागीरथ ग्राम मझली, शिव कुमार ग्राम अबगांव खुर्द, राजेश ग्राम देवतालाब, लूणाराम ग्राम कालंबा, ओमप्रकाश ग्राम अब गांवकला, कमल ग्राम अतरसमा तथा नानकराम ग्राम नीमचाखुर्द को ड्रोन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर भू–अधिकार अभिलेख प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

इस योजना से गांव की दिशा और दशा बदलेगी। श्री पटेल ने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्र के हर संपत्ति धारक को संपत्ति का प्रमाण पत्र एवं भूमि स्वामित्व प्राप्त होगा जिससे वह बैंक से ऋण लेकर अपने लिए रोजगार के नवीन अवसर सृजित कर सकेंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत हो सकेगी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई के ग्रामीण विकास के सपनों को, प्रदेश और केंद्र की सरकार पूरा कर रही है। श्री वाजपेई ने ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड एवं फसल बीमा योजना जैसी महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की थी। उसी तर्ज पर स्वामित्व योजना द्वारा संपत्ति धारक को उनका अधिकार दस्तावेज के रूप में प्राप्त हुआ है, जिससे ग्रामीण आबादी को मालिकाना हक मिला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं महात्मा गांधी जी का सपना था कि गांव के विकास से ही देश का विकास संभव होगा और असली भारत गांवों में बसता है।

मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में
निर्मित सड़कों का हुआ वर्चुअल लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनायी गयीं 4 हजार 120 किलोमीटर लंबी 12 हजार 960 ग्रामीण सड़कों का वर्चुअल कार्यक्रम में लोकार्पण किया। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत यह सड़कें 1359 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हुई हैं। विभाग द्वारा कोरोना आपदा काल में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ विकास प्रक्रिया सतत जारी रखते हुए ये सड़कें बनायी गयी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की लोकार्पित होने वाली इन 12 हजार 960 सड़कों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनायी गयी 1104 किलो मीटर लम्बी 171 सड़कें एवं 47 वृहद पुल शामिल हैं। इनकी लागत 691.41 करोड़ रुपये है। विभाग द्वारा इसी अवधि में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत 3016 किलोमीटर लंबाई की सीमेंट कांक्रीट की 10 हजार 792 सड़कें तथा ग्रामों के भीतर स्कूल, मजरे-टोलों आदि में सुगमता से आने-जाने के लिये 1997 ग्रेवल सड़कें निर्मित की गयी हैं। वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन सड़कों के लोकार्पण के दौरान अलीराजपुर, खरगोन, बैतूल, कटनी, सीधी एवं नरसिंहपुर जिले के सरपंचों से मनरेगा की सड़कों के संबंध में तथा बड़वानी एवं रतलाम जिलों के सरपंचों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में संवाद भी किया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 अक्टूबर को मिंटो हॉल में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित लगभग 13 हजार ग्रामीण सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना काल में श्रमिकों और किसानों सहित नागरिकों की तकलीफें दूर करने का भरसक प्रयास किया गया। हमारा देश गांव में बसता है। अधोसंरचना क्षेत्र में कार्य से आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा और वर्तमान दिक्कतों को दूर किया जा सकेगा। विशेषकर सड़कों का जाल बिछाने से विकास की राह आसान हो रही है। लोकार्पित सड़कों में उप चुनाव वाले जिलों की सड़कों को लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों, स्व-सहायता समूहों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना काल में हुए ग्रामीण सड़क कार्यों की सराहना करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सड़कों के निर्माण से आम लोगों की जिन्दगी बदलती है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल जी ने देश में वृहद स्तर पर सड़कों के निर्माण का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री श्री मोदी भी इस दिशा में रुचि लेकर सड़कों के निर्माण के कार्यों को गति देने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि सड़कों के साथ ही ग्रामों में आवास क्षेत्र में भी अधिकाधिक कार्य कर उपलब्धि प्राप्त करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में मार्च में कोरोना संक्रमण के उपचार की संपूर्ण व्यवस्थाएं की गईं। इस संकट के समय में स्थानीय और प्रवासी श्रमिकों की रोजी-

रोटी की समस्या को दूर करते हुए उन्हें विभिन्न कार्यों से संलग्न किया गया। रोजगार सेतु पोर्टल बनाया गया। आजीविका मिशन के तहत महिलाओं ने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से बड़ी संख्या में मास्क, साबुन और सेनेटाइजर का निर्माण कर कोरोना के विरुद्ध अपनी भागीदारी दर्ज की। किसान कल्याण के लिए भी अनेक कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के द्वार खोल दिए। जरूरतमंदों को राशन मिला।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार जनकल्याण के कार्यों में कोई बाधा नहीं आने देगी। ऐसे कार्यों के लिए धनराशि की कमी आड़े नहीं आएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खेत सड़क योजना पर ध्यान देंगे। इससे किसान अपनी मेहनत से उगाए उत्पादन को विक्रय के लिए आसानी से भेज सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कोरोना से अपना बचाव करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि फिलहाल फेस मास्क ही वैक्सीन है। प्रत्येक व्यक्ति अपना बचाव करे, सावधानी में ही सुरक्षा है।

आपदा को अवसर में बदला गया

कोरोना काल में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 4 हजार 120 किलोमीटर लंबी 12 हजार 960 ग्रामीण सड़कों का निर्माण करवा कर आपदा को अवसर में बदला। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत यह सड़कें 1359 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हुई हैं। लोकार्पण वाले 33 जिलों में 4.83 लाख कार्यों में 46.39 लाख श्रमिकों को नियोजित किया गया। कुल 11.62 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। कोरोना आपदा काल में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ विकास प्रक्रिया सतत जारी रखते हुए ये सड़कें बनाई गईं। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 15 लाख श्रमिक दिवस सृजित किए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1104 किलोमीटर लम्बी 171 सड़कें एवं 47 बड़े पुल शामिल हैं। इनकी लागत 691.41 करोड़ रुपये है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस अवधि में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 3016 किलोमीटर लंबाई की सीमेंट कांक्रीट की 10 हजार 792 सड़कें तथा ग्रामों के भीतर स्कूल, मजरे-टोलों आदि में सुगमता से आने-जाने के लिये 1997 ग्रेवल सड़कें भी निर्मित कीं, जो ग्रामवासियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान की पंचायत पदाधिकारियों से बातचीत

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोकार्पण के बाद कुछ जिलों की ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों से संवाद भी किया। इनमें श्री कैलाश राठौर ग्राम पंचायत पलसोडा जनपद एवं जिला रतलाम, श्री राजेन्द्र पटेल उप प्रधान ग्राम पंचायत फुलरी जनपद चावरपाठा जिला-नरसिंहपुर और श्रीमती सेवंती गणेश उइके प्रधान ग्राम पंचायत शोभापुर जनपद घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत पदाधिकारियों को कम समय अवधि में संपन्न निर्माण कार्यों के लिए बधाई भी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत पदाधिकारियों से विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की और ग्राम में उपलब्ध सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति और कोरोना से बचाव के लिए अपनाए गए उपायों की भी जानकारी प्राप्त की। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी।

मिंटो हॉल स्टूडियो में आयोजित वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में सड़कों के निर्माण पर एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री सचिन सिन्हा, आयुक्त राज्य रोजगार गारंटी परिषद सोफिया फारुकी वली, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े भी उपस्थित थे।

● **अशोक मनवानी**
उप संचालक, जनसंपर्क

प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और ग्रामीण अधोसंरचनाओं का निर्माण

मध्यप्रदेश में कोरोना काल में आयी आपदा को अवसर में बदलने के कई प्रयास किये गये। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जब प्रवासी श्रमिक वापस लौटे तब सबसे बड़ी समस्या थी रोजगार की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जहां श्रमिकों को रोजगार दिया वहीं ग्रामीण अंचल में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 अक्टूबर को प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित इन अधोसंरचनाओं का लोकार्पण किया। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायतों के माध्यम से 106 करोड़ 4 लाख रुपये की लागत से निर्मित 1584 संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों ने प्रवासी मजदूरों को रोजी-रोटी का साधन दिलवाने के लिए मनरेगा के कार्यों के संपादन और पंच-परमेश्वर योजना से गांवों में जनोपयोगी निर्माण कार्यों को पूरा करवाया है। पंचायत पदाधिकारियों की इस भूमिका के लिए वे बधाई के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामों में पक्के आवास, नल जल योजना, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के क्रियान्वयन के साथ ही अन्य स्वीकृत कार्यों को तेजी से पूर्ण करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राष्ट्रऋषि नाना जी देशमुख की जयंती पर हो रहे वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में ग्रामवासियों से ग्रामों में स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हुए कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए सजग रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विपदा काल में विकसित सामुदायिक भवन, हाट बाजार, यात्री प्रतीक्षालय, सी.सी. रोड, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, पंचायत भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ लेते हुए इन ग्रामीण परिसंपत्तियों के बेहतर रख-रखाव में सभी लोग योगदान दें।

कार्यक्रम में प्रदेश के जिलों में उपस्थित जनप्रतिनिधियों के अलावा भोपाल के मिंटो हॉल स्टूडियो में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव भी मौजूद थे।

क्या कार्य हुए

कुल 106 करोड़ 4 लाख रुपये लागत से बनाई गई 1584 सर्व-सुविधा युक्त संरचनाओं में 44 करोड़ 21 लाख की लागत से 318 ग्राम पंचायत भवन, 34 करोड़ 6 लाख की लागत से 262 सामुदायिक भवन तथा 27 करोड़ 59 लाख रुपये की लागत से 1004 सामुदायिक स्वच्छता परिसर शामिल हैं।

पंचायत प्रधानों से संवाद

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोकार्पण के पश्चात टीकमगढ़ जिले के पलेरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बेला की प्रधान श्रीमती विजयलक्ष्मी राजे, भोपाल जिले की बैरसिया जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत इजगिरी के प्रधान श्री प्रेमदयाल मीणा, खरगोन जिले की वरुण ग्राम पंचायत के प्रधान श्री हीरालाल पिछाले से चर्चा की है।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम प्रधानों से ग्रामवासियों को कोरोना काल में मिले मुफ्त राशन, संबल योजना में हुए पंजीयन और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी प्राप्त की।

प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत इस वर्ष तीन गुना काम

विगत दिनों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के मनरेगा के मजदूरों से उनके कार्य स्थल से ही चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश में इस वर्ष मनरेगा योजना के अंतर्गत 7 लाख 81 हजार कार्य खोले जा चुके हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना हैं। इन कार्यों में अभी तक 79 लाख 80 हजार श्रमिकों को रोजगार दिलाया गया है। गत वर्ष आज की स्थिति में 47 लाख 75 हजार मजदूरों को मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिया गया था। इस वर्ष बड़ी संख्या में मजदूरों को कार्य दिये जाने के साथ ही किए जा रहे कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं बहुत उपयोगी हैं। मनरेगा के अंतर्गत धार जिले के सूलीबर्डी गांव में फॉसिल पार्क, श्योपुर जिले के रायपुरा में बावड़ी जीर्णोद्धार, ग्वालियर जिले के बन्हेरी में गौ-शाला निर्माण तथा बालाघाट जिले में नहर गहरीकरण के कार्य अनूठे एवं अद्भुत हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री राम खिलावन पटेल, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, एसीएस श्री मनोज श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।

गौ-शाला के शुभारंभ के लिए खुद आऊंगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान को ग्राम बन्हेरी जिला ग्वालियर के श्री अजब सिंह एवं हरी रावत ने बताया कि वे ग्राम में तैयार की जा रही है गौ-शाला में कार्य कर रहे हैं। उन्हें समय पर कार्य की मजदूरी भी प्राप्त हो गई है। मनरेगा से बनाई जा रही इस गौ-शाला में 1500 गौवंश को रखने की व्यवस्था रहेगी। गौ-शाला के साथ ही मंदिर सरोवर का निर्माण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि गौ-शाला के शुभारंभ के लिए वे स्वयं बन्हेरी आएंगे।

मनरेगा से तैयार की नक्षत्र वाटिका

बैतूल जिले के ग्राम कान्हाबाड़ी की कान्ति देवी ने मुख्यमंत्री को बताया कि गांव में मनरेगा से नक्षत्र वाटिका तैयार की गई है जिसमें 27 नक्षत्र, 12 राशि एवं 9 ग्रहों के पौधे रोपित किए गए हैं। वाटिका में एक्यूप्रेशर ट्रेक एवं पाथ-वे भी बनाया गया है। इसमें गांव की महिलाओं ने मिस्त्री का कार्य किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्य के लिए कान्ति देवी सहित सभी को बधाई दी।

पहले महाराष्ट्र में काम करते थे अब यहीं करेंगे

कसाराघाट कल्याण महाराष्ट्र से वापस लौटे प्रवासी मजदूर श्री रामचरण ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान अपने गांव रोशिया जिला खंडवा लौट आए। लौटते ही उनका एवं उनकी पत्नी बिन्दु बाई का जॉब कार्ड बन गया। अब वे दोनों मनरेगा में खंती खुदाई (कंटूर ट्रेंचिंग) का कार्य कर रहे हैं। आगे भी अपने गांव में रहकर ही काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि भविष्य में भी उन्हें काम मिलता रहेगा।

काम मिला, मजदूरी मिली, राशन मिला, मास्क भी मिला

मुरैना जिले के ग्राम धनेला के राजू जाटव ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि उन्हें मनरेगा में काम मिला है, समय पर मजदूरी मिल रही है, फ्री राशन मिला और मास्क भी मिला। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की है, वे अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं।

317 सिंचाई नहरों का गहरीकरण

मुख्यमंत्री श्री चौहान को बालाघाट जिले के ग्राम पाला के सुमित खरे ने बताया कि गांव में वे मनरेगा में नहर गहरीकरण का कार्य कर रहे हैं। पहले नागपुर में मिस्त्री का कार्य करते थे। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि बालाघाट जिले में मनरेगा से 317 सिंचाई नहरों के गहरीकरण का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्य की प्रशंसा की।

फॉसिल पार्क देखने जरूर आऊंगा

ग्राम सुलीबर्डी जिला धार के अनसिंग गंगाराम ने बताया कि गांव में मनरेगा से फॉसिल पार्क बनाया गया है, जिसमें वे मजदूरी कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में फॉसिल (जीवाश्म) उपलब्ध हैं, जिन्हें इस पार्क में संग्रहित किया गया है। यहां डायनासोर के अंडों सहित अन्य दुर्लभ जीवाश्म (फॉसिल) हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह अद्भुत कार्य है। मैं इसे देखने जरूर आऊंगा। उन्होंने कार्य के लिए संबंधित सभी को बधाई दी।

900 साल पुरानी बावड़ी का जीर्णोद्धार किया

मुख्यमंत्री श्री चौहान को ग्राम रायपुरा-श्योपुर के मनरेगा मजदूर बाबूलाल बैखा एवं हरीश शर्मा ने बताया कि वे बावड़ी जीर्णोद्धार का कार्य कर रहे हैं। ये बावड़ी 900 साल पुरानी गौड़ राजवंश काल की है। बावड़ी अत्यंत सुंदर एवं विशाल है। श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि श्योपुर जिले में इस प्रकार की 9 बावड़ियों के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मनरेगा द्वारा किए गए ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

प्रदेश में मनरेगा कार्यों संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य

- प्रदेश में 2020-21 में 20.50 करोड़ मानव दिवस का लेबर बजट। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के तहत 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान।
- प्रदेश में अब तक 7 लाख 81 हजार कार्य खोले गये।
- इनमें से एक लाख 52 हजार कार्य प्रगतिरत।
- पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने श्रमिकों का नियोजन।
- एक दिन में अधिकतम 25 लाख 30 श्रमिकों का नियोजन हुआ, जो अपने आप में रिकार्ड है।
- प्रदेश में अब तक 79 लाख 80 हजार श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये।
- जल संरक्षण और जल दोहन के कार्यों को प्राथमिकता।
- 4 हजार गौशालाऐं और इनके साथ 5 एकड़ भूमि चरागाह के लिए विकसित हो रही है।
- मानसून में भी श्रमिकों का अधिक से अधिक नियोजन हो, इस दृष्टि से कार्यों की प्लानिंग।
- 14.90 श्रमिकों को नवीन जॉबकार्ड उपलब्ध कराये गये, जो पिछले 12 वर्ष में सर्वाधिक हैं।
- प्रत्येक जिले एवं विकासखण्ड स्तर पर रोजगार सूचना एवं सहायता केन्द्र स्थापित।
- प्रत्येक श्रमिक को नि:शुल्क दो मास्क देने की व्यवस्था।
- इस वित्तीय वर्ष में अब तक 13.82 करोड़ मानव दिवस सृजित।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए आत्मनिर्भर गांव

मनरेगा कार्यों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए ग्रामों का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने में मनरेगा योजना अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकती है। योजना में इस वर्ष 20.50 करोड़ मानव दिवस का लेबर बजट केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान है। ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना बनाकर एवं समयबद्ध रूप से कार्य किया जाए।

मध्यप्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत प्रति दिवस मजदूरी दर 190 रुपये है, जबकि दूसरे राज्यों महाराष्ट्र में 238 रुपये, गुजरात में 224, राजस्थान में 220 तथा हरियाणा में सर्वाधिक 290 रुपये है। यह दर केन्द्र द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रदेश की मनरेगा मजदूरी दर बढ़वाने के लिए आवश्यक 'टाइम एण्ड मोशन स्टडी' शीघ्र करवाई जाए।

बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण श्री मनोज श्रीवास्तव उपस्थित थे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री राम खिलावन पटेल वी.सी. से बैठक में शामिल हुए।

> "प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत समय पर मजदूरी भुगतान का प्रतिशत भी गत 5 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक रहा है। वर्ष 2020-21 में यह 93 प्रतिशत रहा। जबकि वर्ष 2019-20 में समय पर मजदूरी भुगतान का प्रतिशत 84.19 प्रतिशत मात्र था।"

कार्यों की गुणवत्ता अच्छी हो, कार्यों का सही मूल्यांकन हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मनरेगा के कार्यों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कार्य गुणवत्तापूर्ण हों, समय पर पूर्ण हो जाएं तथा पूर्ण हुए कार्य उपयोग में आने लगें। मनरेगा कार्यों का सही मूल्यांकन भी सुनिश्चित किया जाए।

79 प्रतिशत जॉब कार्डधारी कार्य कर रहे हैं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत 79 प्रतिशत जॉब कार्डधारी कार्य कर रहे हैं। यह अच्छा प्रतिशत है। अन्य राज्यों उत्तरप्रदेश में 57 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 72 प्रतिशत, राजस्थान में 73 प्रतिशत तथा बिहार में 36 प्रतिशत सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं।

हर गांव में शांति धाम

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने बताया कि मनरेगा से प्रदेश के छोटे-बड़े प्रत्येक गांव में शांतिधाम बनवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस कार्य की सराहना की।

प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत समय पर मजदूरी भुगतान का प्रतिशत भी गत 5 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक रहा है। वर्ष 2020-21 में यह 93 प्रतिशत रहा। जबकि वर्ष 2019-20 में समय पर मजदूरी भुगतान का प्रतिशत 84.19 प्रतिशत मात्र था।

मनरेगा के तहत प्रदेश में अब तक 2 लाख 87 हजार कार्य पूर्ण हो चुके हैं। गत वर्ष इस अवधि तक पूर्ण हुए कार्यों की संख्या एक लाख 64 हजार तक ही सीमित रही।

आत्मनिर्भरता का आधार तैयार करेंगी
वित्त आयोग की अनुशंसाएँ

मध्यप्रदेश देश के उन प्रांतों में अग्रणी है जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को आधार बनाया है। देश आत्मनिर्भर कब होगा। प्रदेश आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। और प्रदेशों की आत्मनिर्भरता समाज के स्वस्थ और सुखी हो जाने पर निर्भर है इसीलिये मध्यप्रदेश ने अपने आत्मनिर्भरता संकल्प में ग्रामीण जीवन के स्वस्थ रहने और सुखी बनाने को आधार बनाया है। समर्थ बनने के लिये स्वस्थ रहना आवश्यक है, आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति निर्बाध रहना चाहिए। मध्यप्रदेश ने इन्हीं बातों को सबसे पहले अपने हाथ में लिया है। जिसमें 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप कार्य आरंभ किये हैं जिसमें स्वच्छता, स्वास्थ्य सुधार, शुद्ध पेयजल आपूर्ति और प्राकृतिक जल संचय जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य है।

आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को सार्थक बनाने के लिये 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाएँ 1 अप्रैल 2020 से लागू होना थीं लेकिन यह तिथि कोरोना के काले ग्रहण के बीच आई। जिससे कुछ राज्यों का काम पिछड़ा लेकिन मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस चुनौती को स्वीकार किया और लाकडाउन की पहली राहत के साथ इस काम को युद्ध स्तर पर अपने हाथ में लिया और ग्राम्य जीवन के विकास ढांचे को तेजी से खड़ा करने की दिशा में सबसे पहले कदम बढ़ाया। मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने समय रहते इन अनुशंसाओं से संबंधित न केवल आदेश जारी कर दिये अपितु इनके अनुसार कार्य भी आरंभ हो गया।

भारत सरकार ने वित्त आयोग का पहली बार 1951 में गठन किया था। इसका उद्देश्य पंचायतों और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति, आवश्यकता और भविष्य के स्वरूप के अनुरूप विकास की रूपरेखा निर्धारित करना है ताकि उसके आधार पर भारत सरकार राज्यों को धन उपलब्ध करा

सके। इस आयोग की आवश्यकता इसलिए भी थी कि भारत की विविधता के अनुरूप स्थानीय आवश्यकता ही प्राथमिकता में हो सके। जो आवश्यकता और प्राथमिकता केरल के ग्रामीण जीवन की है वे मध्यप्रदेश में नहीं। इसलिए स्थानीय भाव भूमि के अनुरूप योजनाएं बन सकें। इसी कड़ी में यह 15वें वित्त आयोग की यह अनुशंसाएँ नवम्बर 2019 में जारी की गई थीं और इन्हें 1 अप्रैल 2020 से देश भर में लागू करने के निर्देश दिये थे। लेकिन कोरोना संकट के कारण इन पर वैसा काम नहीं हो पाया जैसी कल्पना भारत शासन ने की थी या जिन्हें देखकर मध्यप्रदेश सरकार ने प्रथम दृष्टया माना था। कोरोना का यह संकट मध्यप्रदेश में भी रहा। लेकिन मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के बीच जैसे ही समय मिला वैसे ही तेजी से काम आरंभ किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने समय रहते आदेश जारी किये और इनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया।

इन अनुशंसाओं पर दो प्रकार से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। एक योजनाओं को तैयार करना और दूसरा उनके क्रियान्वयन की रूपरेखा निश्चित करना।

योजना की तैयारी के क्रियान्वयन को पाँच भागों में बाँटा गया है। अब योजनाएं केवल मंत्रालय की बैठकों में ही नहीं बनती बल्कि यह सुनिश्चित किया गया कि जो लाभार्थी हैं जिन्हें आत्मनिर्भर बनना है वे स्वयं अपनी आवश्यकता के अनुरूप योजनाएं बनाएं। यह योजना पहले ग्राम पंचायत स्तर पर बने, फिर जनपद पंचायत के स्तर पर बने, तीसरे चरण में जिला पंचायत योजना बने, चौथे चरण में जिला योजना समिति अंतिम रूप में थे और आवश्यकता होने पर इन प्रारूपों को अंतिम स्वीकृति प्रदेश से मिले। वस्तुतः एक जिले में ही गांव की जरूरत अलग हो सकती है। यह जरूरत उस गांव में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, उत्पन्न होने वाली फसल और वन या नगर की दूरी पर निर्भर करती है। इसीलिए सरकार गांव और उस गांव के आसपास के कुछ गांव को जोड़कर एक क्लस्टर बनाया। जिसमें पहले तो गांव का क्लस्टर आपस में अपनी उपलब्धता और आवश्यकता को बाँट लें। एक की आवश्यकता दूसरा पूर्ति करे और इसके साथ शासन अपना कंधा लगाकर साथ रहे।

ग्राम पंचायत प्लान

इस प्लान का नाम 'सबकी योजना सबका विकास' दिया गया है। इस प्लान में केवल वे कार्य ही सम्मिलित होंगे जो केवल ग्राम स्तर के होते हैं। इसके लिये ग्राम सभा का आयोजन करके योजना बनेगी । इस ग्राम सभा में पंचों के अतिरिक्त क्रियाशील स्व–सहायता समूहों के अध्यक्ष, सदस्य तथा ग्राम अथवा क्लस्टर स्तरीय विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे। यह सभा स्वयं अपनी आवश्यकता के अनुरूप योजनाएं बनाये, यह योजना सब प्रकार से बनेगी दस्तावेजों के साथ ग्राम विकास के पोर्टल पर अपलोड की जायेगी ।

जनपद पंचायत प्लान

इस योजना में उन कामों पर विचार होता है जिनका संबंध दो तीन या इससे

अधिक गांवों से संबंध होगा। इसमें भी सभा का आयोजन किया जायेगा और उसका नाम 'खंड स्तरीय सभा' दिया गया है। इस सभा की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष करेंगे। इस सभा में जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी सदस्य, इस जनपद के अंतर्गत आने वाली पंचायतों के सरपंच, क्रियाशील स्व-सहायता समूहों के अध्यक्ष और इसके अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारी हिस्सा लेंगे। इस सभा में बनी योजना भी निर्धारित प्रपत्र पर दर्ज करके सभी संबंधित सदस्यों को दी जायेगी और संबंधित पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

जिला पंचायत प्लान

तीसरे स्तर पर जिला पंचायत अपने अंतर्गत आने वाले जनपदों और ग्राम पंचायत की आवश्यकता पर विचार करेंगे। इस सभा की अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष करेंगे। इस स्तर पर सेमिनार और कार्यशाला

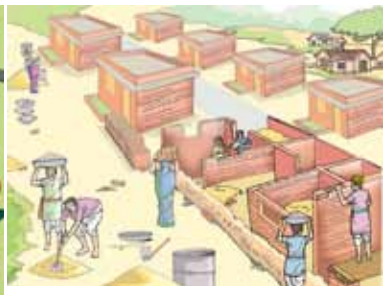

के रूप में विचार होगा। इस स्तर पर उन योजनाओं और आवश्यकताओं पर विचार होगा जो पूरे जिला स्तर की होंगी।

इस सभा में जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, अंतर्गत आने वाली जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायतों के सरपंच और संबंधित सभी अधिकारी हिस्सा लेंगे। इस सभा के निर्णय भी निर्धारित प्रपत्र पर तैयार करके संबंधित सदस्यों को दी जायेगी और संबंधित पोर्टल पर अपलोड भी की जायेगी ।

जिला योजना समिति

चौथे चरण में जिला योजना समिति में अंतिम रूप दिया जायेगा। यह सभा कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी। इस सभा में जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, जिले के सभी विभाग प्रमुख अधिकारी सम्मिलित होंगे।

किये जाने वाले कार्य

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप तीन प्रकार के काम प्राथमिकता में होंगे। इसमें जल प्रबंधन, स्वच्छता प्रबंधन और तीसरे वह कार्य जो राज्य शासन की प्राथमिकता में हैं। जल प्रबंधन में जहां एक ओर गांव में पाइप लाइन बिछाकर पेयजल की आपूर्ति करना है वहीं प्राकृतिक जल का संचय और संरक्षण करना शामिल है। इसमें तालाबों का निर्माण या पुराने तालाबों का सुधार, पेयजल के लिये नये कूप निर्माण, पुराने कुओं का गहरीकरण और सुधार, जल संग्रहण के लिये भूमिगत टंकी बनाना, स्कूल अस्पताल, हाट बाजार, आँगनवाड़ी, सरकारी भवनों आदि सार्वजनिक स्थलों में पेयजल का प्रबंधन और पशुओं के लिये भी पानी का समुचित प्रबंध शामिल है। इसके साथ स्टापडेम, चेकडेम आदि का निर्माण, शासकीय भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग सोख्ता गड्ढा बनाना तथा गिट्टी रेत के गड्ढों और धारा से जल को स्वच्छ बनाने आदि के काम किये जायेंगे।

स्वच्छता संबंधित कामों में गंदे पानी की निकासी के लिये पाइप लाइन, गीले सूखे कचरे का संग्रहण इसके निष्पादन स्कूल अस्पताल आदि सभी सरकारी भवनों में स्वच्छता प्रबंध, आवश्यकता होने पर कचरा ढुलाई के लिये ट्राली, टोप्पो या अन्य वाहन प्रबंध करना, गोबर गैस और बायो गैस के प्लांट आदि प्रबंध करना शामिल है। पर्यावरण के लिये पौध रोपण, पुराने पेड़ पौधों का संरक्षण संवर्धन आदि काम होंगे। इसके साथ गौ-शाला निर्माण, सीसी सड़क, रिप्टा, पुलिया, पक्की नाली, कांजी हाउस पुस्तकालय आदि के निर्माण भी किये जायेंगे। इन अनुशंसाओं के अनुरूप जहाँ आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति के काम होंगे वहीं भविष्य के विकास के लिये कृषि, वन, फल सब्जी उपज आदि के प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की भी योजनाएं बनेंगी जिससे न केवल स्थानीय जरूरत पूरी हो बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकें। इस बात के भी प्रावधान किये जा रहे हैं कि गांव में कुटीर उद्योगों की स्थापना हो सके। इनमें बड़ी, पापड़, आचार मुरब्बा, अगरबत्ती, फेस मास्क, सेनेटाजर, पीपीई किट, सेनेटरी नैपकिन, आदि कुटीर उद्योगों में तैयार हों। वहीं इसके साथ एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज आदि के निर्माण की भी योजना बने।

इन सब कामों की गुणवत्ता निरीक्षण के लिये भी प्रावधान किये जा रहे हैं प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये जहाँ गांवों में निरोग रहना स्थानीय उत्पाद के अनुरूप कुटीर उद्योग स्थापित होना बहुत आवश्यक है इसीलिये इन कामों को इसलिए भी हाथ में लिया गया है। इन सिफारिशों के लिये हालाँकि पाँच वर्ष का समय निर्धारित है फिर भी राज्य सरकार का प्रयत्न है कि समय के पूर्व उपलब्धियां प्राप्त हो जायें।

● **रमेश शर्मा**
लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं

ग्रामीण अंचलों में तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग कर उन्हें पहचान दिलाएगी प्रदेश सरकार

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प लोकल फॉर वोकल को ध्यान में रखकर स्थानीय तौर पर निर्मित होने वाली वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार उनकी ब्रांडिंग में मदद करेगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मुख्यमंत्री आवास पर सीहोर जिले की आजीविका मिशन की सदस्यों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के तहत मध्यप्रदेश सरकार भी लोकल फॉर वोकल के प्रति कृत-संकल्पित है। आजीविका मिशन सरकार की प्राथमिकता में है। स्व-सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो इससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। इस दौरान आजीविका मिशन की दीदियों ने पंचगव्य से निर्मित भगवान श्रीगणेश की मूर्ति भेंट की। आजीविका मिशन की दीदियों ने बताया कि गिफ्ट पैक में दीपावली के त्योहार के लिए 26 प्रकार की उपयोगी वस्तुएं पैक की गई हैं, इनमें दीपक, कंडे, गमला (तुलसी विवाह), धूपबत्ती, लक्ष्मी झाड़ू, पंचगव्य गोबर से बने सिक्के (ओम-श्री-स्वास्तिक) शामिल हैं।

दीपावली त्योहार की उपयोगी वस्तुओं की हुई पैकिंग

मुख्यमंत्री श्री चौहान को आजीविका मिशन की दीदियों ने पंचगव्य से निर्मित भगवान श्रीगणेश की मूर्ति भेंट की। दीदियों ने बताया कि गिफ्ट पैक में दीपावली के त्यौहार के लिए 26 प्रकार की उपयोगी वस्तुएं पैक की गई हैं। इनमें दीपक, कंडे, गमला (तुलसी विवाह), धूपबत्ती, लक्ष्मी झाड़ू, पूजा हेतु नारियल, पूजा सुपारी, जनेऊ, पंचमेवा, लाल कपड़ा, इत्र, हवन सामग्री, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, रूई बत्ती, रंगोली कलर, लक्ष्मी मूर्ति, मूर्ति आसन, पूजा हेतु दीपक, घी, शुभ दीपावली, शुभ-लाभ, लक्ष्मी चरण पादुका, पंचगव्य गोबर से बने सिक्के (ओम-श्री-स्वास्तिक) शामिल हैं। दीदियों ने बताया कि दीपावली गिफ्ट पैक का मूल्य स्व-सहायता समूह द्वारा 399 रुपये रखा गया है। गिफ्ट पैक रुरल मार्ट लुनिया चौराहा सीहोर, ओरा मॉल भोपाल में विक्रय के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा आजीविका एप के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर पर भी विक्रय किया जा रहा है। भेंट के दौरान स्व-सहायता की दीदियों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को यह भी बताया कि गिफ्ट पैक के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन विक्रय भी शुरू किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दीपावली गिफ्ट पैक को खरीदा तथा उसका मूल्य 399 रुपये का भुगतान भी किया।

स्व–सहायता समूह की महिलाओं से मुख्यमंत्री की परिचर्चा

- जय गुरुदेव स्व–सहायता समूह भावखेड़ी की दीदी ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को भेंट के दौरान बताया कि उनका स्व–सहायता समूह कन्हैया गौ–शाला का संचालन करता है। इसमें लगभग 100 गाये हैं। गौशाला में दुधारु के साथ–साथ बुजुर्ग गायों की भी देखभाल की जाती है। गौ–शाला में दूध व दुग्ध पदार्थों के अलावा पंचगव्य पदार्थों से मूर्तियां, दीपक, स्वास्तिक, चरण पादुका, गमले आदि बनाए जाते हैं। इन गतिविधियों से गौशाला व समूह को अतिरिक्त आय मिल जाती है।
- माँ दुर्गा स्व–सहायता समूह इछावर की दीदी ने भेंट के दौरान बताया कि उनका स्व–सहायता समूह तुलसी, अश्वगंधा, कलौंजी आदि की औषधीय फसलों की खेती भी करता है। लगभग एक एकड़ की खेती पर 15 हजार रुपये की लागत आई तथा 60 हजार रुपये की फसल बिक्री हुई। इस प्रकार से स्व–सहायता समूह को 45 हजार रुपये की आमदनी हुई।
- बुदनी के गणेश स्व–सहायता समूह की दीदी ने बताया कि उनका समूह मधुमक्खी पालन करता है। इसके लिए फूलों वाली फसलें जैसे अरहर व सरसों की फसल लेते हैं। लगभग डेढ़ माह की अवधि में मधुमक्खी पालन से 40 किलोग्राम शहद का उत्पादन हुआ, जिससे समूह को 12 हजार रुपये की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हुई।
- लक्ष्मी स्व–सहायता समूह की दीदी ने बताया कि उनका स्व–सहायता समूह फैंसी कड़े व चूड़ी का निर्माण करता है। फैंसी कड़े 50 से लेकर 250 रुपये में बिक जाते हैं। समूह सदस्य द्वारा दिखाये गये फैंसी कड़े मुख्यमंत्री श्री चौहान ने क्रय कर भुगतान भी किया।
- राम आजीविका समूह सीहोर व बालाजी आजीविका समूह आष्टा की दीदियों ने बताया कि वे बैंक सखी का काम करती हैं। बैंक में आवेदन आदि करने में सहयोग के साथ महिलाओं को बीमा व पेंशन आदि की जानकारी देती हैं।
- राधिका स्व–सहायता समूह नसरुल्लागंज की दीदी ने बताया कि उनका समूह सिलाई केन्द्र चलाता है तथा कियोस्क भी खोलने पर विचार है।

● प्रवीण पाण्डेय
लेखक पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं

प्रदेश में हर दो माह में होगी ग्राम सभा

किसी भी अवधारणा और कार्य को धरातल पर उतारने के लिए समुचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। विभागीय स्तर पर यह मार्गदर्शन समय-समय पर विभागीय मंत्री द्वारा दिया जाता है। क्रियान्वयन को जानने और समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाता है। विगत दिनों पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। विकास आयुक्त कार्यालय विंध्याचल भवन, भोपाल में आहूत इस बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने उद्देश्य स्पष्ट किया कि विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गांवों के विकास में ग्राम सभा की भूमिका महत्वपूर्ण है। अतः ग्राम सभा में ग्रामीणों की भागीदारी का क्रम बढ़ाने के लिए मंत्री श्री सिसौदिया ने निर्देश दिये कि वर्ष में होने वाली 4 ग्राम सभाओं के अलावा जरूरत के अनुसार प्रत्येक दो माह में ग्राम सभा आयोजित की जाये।

उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामसभा के सफल संचालन के लिए पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाये, मुनादी करवायें ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण शामिल हो सकें। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ग्राम सभा में मनरेगा के तहत किये गये कार्य, कार्यरत मजदूरों और जॉबकार्डधारियों के नाम पढ़कर सुनाए जाने के निर्देश दिये।

श्री सिसौदिया ने कहा कि श्रमिकों को ग्राम स्तर पर सभी सुविधायें मुहैया करवाई जायें। मनरेगा को लेकर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि विगत वर्षों की तुलना में मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2020-21 में लेबर नियोजन सर्वाधिक हुआ है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत मनरेगा मजदूरों को मास्क, सेनेटाइजर आदि भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

> “पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अमेजान, फ्लिपकार्ट जैसे निजी प्लेटफार्म का उपयोग कर समूह उत्पादों के विपणन संबंधी प्रयास किए जायें। बी.सी. सखी एवं कृषि सखी की संख्या बढ़ाई जाकर उनका सशक्तिकरण किया जाये।”

महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण आजीविका और गांवों के समग्र विकास के लिए श्री सिसौदिया ने कहा कि स्व-सहायता समूहों के क्लस्टर बनाकर उनके द्वारा निर्मित उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रत्येक मिडिल स्कूल और हाईस्कूल में बाउन्ड्रीवॉल बनाई जाएगी। गौ-शालाओं को गौ-संवर्धन योजना से जोड़ा जाए।

मंत्री श्री सिसौदिया ने निर्देश दिए कि मनरेगा अंतर्गत अधिक से अधिक स्थाई सम्पत्तियों का निर्माण किया जाये। ग्रामों में बनने वाली सीमेंट-कांक्रीट रोड में आवश्यकतानुसार दोनों तरफ मुरमीकरण कर शोल्डर भरे जाने के प्रावधान से संबंधित कार्रवाई से अवगत कराया जाये। मनरेगा अंतर्गत कार्य-स्थलों में श्रमिकों को दी जाने वाली अन्य सुविधाएँ जैसे झूलाघर, मेडिकल किट आदि व्यवस्थाओं का सतत निरीक्षण किया जाये। जॉब-कार्ड श्रमिक के पास ही हो यह सुनिश्चित किया जाये। श्रम सिद्धि अभियान अंतर्गत किए जाने वाले सर्वे में सोशल ऑडिट के विलेज सोशल एनीमेटर (वी.एस.ए.) एवं स्व-सहायता समूह के सदस्यों को संलग्न किया जाये तथा एक पंचायत का सर्वे कार्य दूसरे पंचायत की टीम से कराया जाये। मनरेगा अंतर्गत पंचायत भवनों एवं शाला भवनों में आवश्यकतानुसार एवं प्रावधान अनुसार बाउण्ड्रीवॉल निर्माण तथा पौध-रोपण के कार्य किए जायें। मनरेगा अंतर्गत शालाओं में किचन-शेड के साथ डायनिंग हाल का भी आवश्यकतानुसार निर्माण किया जाये। निर्माणाधीन गौ-शालाओं के कार्य में तेजी लाते हुए इन्हें शीघ्र पूरा कराया जाए। निर्मित गौ-शालाओं के संचालन का कार्य शीघ्र स्व-सहायता समूहों से अनुबंध कर उन्हें सौंपा जाये। समूह को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से गौ-उत्पादों के उत्पादन व विक्रय को प्रोत्साहित किया जाये। मनरेगा के कार्यों में स्व-सहायता समूहों की अधिक से अधिक सहभागिता बढ़ाई जाये।

मंत्री श्री सिसौदिया ने आजीविका उत्पादों की ब्रांडिंग के लिये मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अमेजान, फ्लिपकार्ट जैसे निजी प्लेटफार्म का उपयोग कर समूह उत्पादों का विपणन संबंधी प्रयास किए जायें। बी.सी. सखी एवं कृषि सखी की संख्या बढ़ाई जाकर उनका सशक्तिकरण किया जाये। आजीविका भवन की किस्त शीघ्र पंचायत राज्य संचालनालय द्वारा नियुक्त की जाये। मनरेगा के जॉब-कार्ड के सत्यापन में स्व-सहायता समूह सदस्यों की सेवाएँ भी ली जायें। क्लस्टर आधारित सामूहिक आजीविका गतिविधियों के प्रस्ताव तैयार किये जायें तथा सेनेटरी नैपकिन के निर्माण, प्रचार-प्रसार तथा उपयोग को बढ़ावा दिया जाये। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ-विक्रेता योजना में विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक प्रकरण बैंकों को प्रस्तुत किए जायें।

● **प्रस्तुति : रीमा राय**
लेखक स्तम्भकार हैं

ग्रामों में स्वच्छ पेयजल के लिए समयबद्ध कार्यक्रम पर अमल

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 अक्टूबर को मिंटो हॉल स्टूडियो से प्रदेश के 18 जिलों की 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामों के निवासियों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने की पहल की है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल जी ने जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का अनूठा कार्य किया, वहीं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी गांव-गांव तक हैंडपंप के स्थान पर टोंटी से जल प्रदाय का महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित अवधि में करवाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। ग्रामों में परिवहन, विद्युत, पेयजल आदि व्यवस्थाओं से अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। वोकल को लोकल बनाने की दिशा में भी इससे सहयोग मिल रहा है। वर्तमान की कोविड जैसी चुनौतियों से लड़ने में सक्षम होना भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर माताएं और बहनें ही घर के लिए पेयजल के प्रबंध का कार्य करती हैं इसलिए उन्हें इन पेयजल योजनाओं के क्रियान्वित होने से विशेष राहत मिलेगी। आगामी छह महीनों में योजनाओं का क्रियान्वयन पूरा होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पेयजल योजनाओं के सफल संचालन और संधारण के लिए ग्रामवासियों से अंशदान देने का भी आह्वान किया।

संसाधनों पर पहला अधिकार ग्रामीणों का

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एक समय ग्रामों में लोग बैलगाड़ी और अन्य साधनों से दो-तीन किलोमीटर दूरी से पीने का पानी लेकर आते थे। नदियों के किनारे बसे ग्रामों के निवासी भी मटकों और अन्य जलपात्रों में पानी जमा करके रखते थे। मिट्टी नीचे बैठ जाने के बाद पानी को छान कर उपयोग में लाया जाता था। इस सबके बाद भी कईं जलजनित रोग फैलते थे। पश्चिम मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या का सामना करना होता है। अब नल-जल योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण आबादी को स्वस्थ बनाए रखने में भी सहयोग मिलेगा। ग्रामीण लोगों का संसाधनों पर पहला हक होता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पूर्व वर्षों में जल निगम के गठन और समूह पेयजल योजनाओं के माध्यम से इन्टेकवेल का निर्माण कर पानी को ट्रीट कर प्रदाय करने की व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन जिलों में विद्यालयों और आंगनवाड़ी केन्द्रों तक भी योजना के तहत स्वच्छ पेयजल प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि आने वाले तीन वर्ष में प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसार ग्रामों में हर घर में स्वच्छ पेयजल प्रदाय का लक्ष्य पूरा होगा। इस दिशा में मध्यप्रदेश सरकार समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वयन कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवाओं से अपना उद्यम प्रारंभ करने का भी आव्हान किया।

18 जिलों में 107 योजनाएं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिन 18 जिलों में 107 पेयजल योजनाओं का भूमि पूजन किया, उनमें बैतूल जिले की 12, सीहोर जिले की 13, विदिशा जिले की 2, झाबुआ जिले की एक, खरगोन जिले की 8, बड़वानी जिले की 5, उज्जैन जिले की 6, शाजापुर जिले की 2, श्योपुर जिले की 2, दमोह जिले की 4, पन्ना जिले की एक, टीकमगढ़

जिले की 3, नरसिंहपुर जिले की 6, मंडला जिले की 2, सतना जिले की 4, छिंदवाड़ा जिले की 12, बालाघाट जिले की 17 तथा सिवनी जिले की 7 पेयजल योजनाएं शामिल हैं। ये योजनाएं कुल 117 करोड़ रुपये की लागत की हैं। ये सभी पेयजल योजनाएं चुनाव अप्रभावित जिलों की हैं।

जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों से मुख्यमंत्री की बातचीत

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सांसद श्री जीएस डामोर, श्री कैलाश सोनी, खनिज निगम अध्यक्ष श्री प्रदीप जायसवाल के साथ ही वीडियो कॉंफ्रेंसिंग से सीहोर, बालाघाट, नरसिंहपुर, झाबुआ, उज्जैन आदि जिलों के ग्रामीणों, जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों तथा जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीहोर जिले के ग्राम बड़ोदिया के प्रधान श्री सोमल सिंह सिसोदिया, झाबुआ जिले के ग्राम पारा की सुश्री चंपाबाई, बालाघाट जिले के ग्राम सिर्रा के स्वच्छता समिति के अध्यक्ष श्री प्रशांत बिसेन और बी.एससी. की छात्रा सुश्री निकिता कटारे, नरसिंहपुर जिले के खमरिया के पंच श्री लालसिंह प्रजापति और अन्य समिति सदस्यों के साथ ही उज्जैन जिले के ग्राम जयवंतपुर के सरपंच श्री जीवन सिंह गरासिया से बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन सभी जिलों में भूमिपूजन कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों से भी चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों में महिलाओं की भागीदारी की जानकारी सुनिश्चित करने को कहा। समिति सदस्यों में 40 से 50 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राशि वितरण, किसानों को सम्मान निधि की राशि के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का प्रारंभ मध्यप्रदेश गान से हुआ। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मलय श्रीवास्तव ने योजना के पहलुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

अनुकरणीय

आजीविका समूह से आत्मनिर्भर हुईं रानी

मध्यप्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्व-सहायता समूह बनाकर महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध किये जा रहे हैं।

प्रदेश में 3 लाख 8 हजार 676 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों से उपलब्ध 34 लाख 78 हजार परिवारों को जोड़ा गया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका मिशन से जुड़कर महिलाएं स्वावलम्बन की ओर कदम बढ़ा रही हैं।

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। जिसमें आजीविका गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए एक वर्ष में 1400 करोड़ रुपये का बैंक ऋण स्व-सहायता समूह की महिलाओं को उपलब्ध कराया जायेगा। ग्रामीण विकास को संबल देने वाले इस अभूतपूर्व निर्णय ने आजीविका समूह की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को गति प्रदान की है।

शहडोल जिले के ब्यौहारी विकासखण्ड को ग्राम दुअरा की श्रीमती एस. रानी ने हमें

बताया कि पहले मैं एक गृहिणी थी। दुर्योग से पति ने मुझे छोड़ दिया। मैं एक दम असहाय हो गयी, करूं तो क्या करूं, चिंता-फिकर के कारण मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने लगी। फिर मैं आजीविका मिशन के सिद्ध बाबा स्व-सहायता समूह से जुड़ी, पहली बार समूह से 5 हजार का ऋण लिया और अपने भाई की जमीन पर सब्जी की खेती आरम्भ की इसके उपरान्त फिर समूह से 25 हजार ऋण लेकर होटल का कार्य शुरू किया।

इसी बीच आर सेटी के माध्यम से मशरूम कल्टीवेशन का प्रशिक्षण प्राप्त किया बैंक से एक लाख रुपये का ऋण लेकर अब मशरूम की खेती कर रही हूं।

मशरूम की खेती में मुझे वर्ष भर में 1 लाख 20 हजार रुपये की वार्षिक आय हो जाती है। मशरूम की खेती करने के अलावा मुझे आजीविका मिशन के सहयोग से पशु सी.आर.पी. के कार्य करने का भी मौका मिला है। महीने भर में कितना कमा लेती हो यह पूछने पर श्रीमती रानी ने बताया कि अब उसकी मासिक आय 15 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रानी अब गांव के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में हैं। कल्पना कीजिए किन विपरीत परिस्थितियों को पार कर रानी ने यह मुकाम प्राप्त किया है। आजीविका मिशन के साथ और सहयोग से निरन्तर स्वावलम्बन की ओर बढ़ती रानी आज गांव की महिलाओं के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन गयी हैं।

● **विकास तिवारी**
लेखक पत्रकार हैं

आजीविका समूहों ने दी पहचान

प्रतिभा के दम पर परिवार की सत्ता महिलाओं के हाथ

- रूढ़ियों को तोड़ गुमनामी के अंधेरे से निकलने में कामयाब हो रही हैं महिलायें
- आजीविका गतिविधियों से जुड़कर हुआ सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वर्ष 2012 से ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिये स्व-सहायता समूह बनाकर उनके संस्थागत विकास तथा आजीविका के संवहनीय अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

मिशन द्वारा प्रदेश में अब-तक समस्त जिलों के 43781 ग्रामों में 308676 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों से 34 लाख 78 हजार परिवारों को जोड़ा जा चुका है। प्रदेश में समूहों से जुड़े 12 लाख 31 हजार से अधिक परिवार कृषि तथा पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से जुड़े हैं जबकि 3 लाख 85 हजार से अधिक परिवार गैर कृषि आधारित लघु उद्यम आजीविका गतिविधियों से जुड़कर काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका गतिविधियों को और सुदृढ़ करने के लिये एक वर्ष में 1400 करोड़ रुपये बैंक ऋण समूहों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत 10 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह राशि मिलने से समूहों की गतिविधियों की गति बढ़ गई है।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वर्ष 2012 से ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिये स्व–सहायता समूह बनाकर उनके संस्थागत विकास तथा आजीविका के संवहनीय अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मिशन द्वारा प्रदेश में अब–तक समस्त जिलों के 43781 ग्रामों में 308676 स्व–सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों से 34 लाख 78 हजार परिवारों को जोड़ा जा चुका है।

मिशन का उद्देश्य ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्व–सहायता समूह के रूप में संगठित कर उन्हें सशक्त बनाने हेतु प्रशिक्षित कर सहयोगात्मक मार्गदर्शन करना एवं समूह सदस्यों के परिवारों को रुचि अनुसार उपयोगी स्व–रोजगार तथा कौशल आधारित आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि मजबूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से गरीबों की आजीविका को स्थायी आधार पर बेहतर बनाया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत निर्धन श्रेणी के परिवारों के इन समूहों को मिशन द्वारा चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि आपदा कोष तथा बैंक लिंकेज के रूप में वित्तीय सहयोग किया जा रहा है। इस राशि से उनकी छोटी बड़ी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। जिससे वह साहूकारों के कर्जजाल से बच जाते हैं।

मिशन द्वारा दिये जा रहे लगातार प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय सहयोग एवं सहयोगात्मक मार्गदर्शन से लाखों परिवारों की निर्धनता दूर हो गई है। प्रशिक्षणों का ही परिणाम है कि समूह सदस्यों के अन्दर गरीबी से उबरने की दृढ़ इच्छाशक्ति उत्पन्न हुई। परिणामस्वरूप वह आगे बढ़कर पात्रता आनुसार अपने हक, अधिकार न केवल समझने लगे हैं बल्कि प्राप्त करने लगे हैं।

मिशन के प्रयासों से ग्रामीण निर्धन परिवारों के जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। इनमें सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण प्रमुख रूप से देखा जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन परिवारों में महिलाओं को आयमूलक गतिविधियाँ करने के अवसर नहीं मिलते थे, उनका जीवन केवल चूल्हे–चौके व घर की चार दीवारी तक ही सीमित रह जाता था। घर के संचालन, आय–व्यय, क्रय–विक्रय आदि सहित अन्य मुद्दों पर निर्णय में पुरुषों का एकाधिकार था, यहाँ तक कि महिलाओं के आने–जाने, उठने–बैठने, पहनने–ओढ़ने, खाने–पीने आदि जैसे व्यक्तिगत मुद्दों पर भी उनकी राय लेना मुनासिब नहीं समझा जाता था, बल्कि सब कुछ एकतरफा उन पर थोप दिया जाता था। कभी परंपरा तो कभी संस्कार मर्यादा के नाम पर महिलाओं के पास इन्हें ढोने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। उनकी अपनी कोई पहचान इच्छा–अनिच्छा, सहमति–असहमति नहीं होती थी। घर के संचालन तथा खेती बाड़ी तथा व्यावसायिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी तो जैसे सपनों की बातें हों।

मिशन के समूहों से जुड़कर महिलाओं को जो अवसर मिला उससे उन्होंने अपनी योग्यता को सिद्ध कर अपनी अलग पहचान बनाई। आज प्रदेश में समूहों से जुड़े 12 लाख 31 हजार से अधिक परिवार कृषि तथा पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से जुड़े हैं जबकि 3 लाख 85 हजार से अधिक परिवार गैर कृषि आधारित लघु उद्यम आजीविका गतिविधियों से

जुड़कर काम कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका गतिविधियों को और सुदृढ़ करने के लिये एक वर्ष में 1400 करोड़ रुपये बैंक ऋण समूहों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत भी 10 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह राशि मिलने से समूहों की गतिविधियों की गति बढ़ गई है।

गैर आयमूलक नगण्य घरेलू कामों के अलावा अब समूह सदस्य महिलायें अपने परिवार के साथ-साथ गांव तथा सामुदायिक विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय देती हैं। उनके अन्दर आई जागरूकता के कारण न केवल घर में बल्कि गांव व क्षेत्र में भी उनके सम्मान में बढ़ोतरी हुई है। समूहों, ग्राम संगठनों, संकुल स्तरीय संघों की नियमित बैठकों में भागीदारी करने से उनकी समझ व सक्रियता बढ़ गई है उनकी कार्यशैली में निखार तथा आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। समूहों में सिखाये गये 13 सूत्रों ने उन्हें मूल मंत्र दे दिया जिससे वे निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं। समूहों की बैठक में नियमित बचत, लेन-देन, ऋण वापसी तथा दस्तावेजीकरण, बैंकों में आने जाने से उनके अंदर वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक प्रबंधन की क्षमता विकसित हो गई। इसी का परिणाम है कि घूंघट में रहने वाली शर्मीले स्वभाव की ग्रामीण महिला आज अपनी यह पहचान बदलकर बड़ी-बड़ी सभाओं में मंच से लाखों की भीड़ के सामने निर्भीक होकर अपने विचार व्यक्त करती है।

इस पूरे काम में एक खास बात यह है कि महिलाओं का अनपढ़ होना बाधक नहीं बना और वे सदियों पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर अपने गुमनाम जीवन से उठकर समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका में पंहुचने में कामयाब हो गई। आज उनकी पहचान केवल किसी की पत्नी, बहू या मां के रूप में ही नहीं है बल्कि अब वे समूहों संगठनों के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के रूप में जानी जाती हैं।

घरों में अब सास, ससुर पति सहित सभी एक स्वर में इनका नेतृत्व सहज स्वीकार करते देखे जा सकते हैं। इन्होंने इस सत्ता परिवर्तन के लिये कोई हिंसक लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि अपनी काबलियत के दम पर सत्ता स्वीकार करने के लिये अपने परिजनों को तथा समुदाय को मजबूर कर दिया।

आज पत्नी से पूछकर पति बाहर जाता है घर में फसल, पढ़ाई लिखाई, खरीदी-बिक्री, आदि निर्णय महिलाओं की राय पर ही लिये जाते हैं।

सामुदायिक विकास के क्षेत्र में भी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले की तुलना में ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना, पात्रता अनुसार स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आदि के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक मुद्दों पर भी जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन देखा जा सकता है। घर-घर में पोषण वाटिका लगाकर अपना, अपने परिवार का तथा अपने गांव में कुपोषण दूर करने के प्रयास देखे जा सकते हैं।

समूह सदस्यों के अन्य व्यवहार परिवर्तनों में एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन है नगद रहित व्यवहार, समूहों का समस्त लेन-देन चेक के माध्यम से ही होता है या फिर बैंक सखियों द्वारा ई-ट्रांजिक्शन

भी कराया जाता है। इस कारण आर्थिक धोखाधड़ी की संभावनायें कम हो गई हैं।

परंपरागत आय के साधन कृषि-पशुपालन के साथ-साथ अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिये सिलाई, दुकान, साबुन, अगरबत्ती निर्माण, आदि सहित 103 प्रकार की लघु उद्यम गतिविधियां रुचि अनुसार की जा रही हैं जिस कारण संवहनीय आजीविका के अवसर मिलने से इनकी आय में उत्तरोत्तर निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रदेश में 2 लाख से अधिक महिलायें ऐसी हैं जो न्यूनतम 10 हजार रुपये मासिक आय अर्जित कर रही हैं।

समूहों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलने से जो नई पहचान मिली उसकी वजह से विभिन्न राजनैतिक पदों पर भी समूह सदस्य निर्वाचित हुई हैं। पंच-सरपंच से लेकर जनपद जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधायक व राज्यसभा सदस्य जैसे पदों तक महिलाएं पहुंची हैं। इसके अलावा विभिन्न समितियों में भी महत्वपूर्ण पद मिले हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में घूंघट की ओट में चूल्हे चौके तक सीमित रहकर गुमनाम जिंदगी जीने वाली महिलाएं अपने परिवार गांव, जिले की पहचान बन गई हैं।

समुदाय के बीच समूह की अवधारणा के प्रचार-प्रसार, क्षमतावर्धन, बैंक संयोजन, समूहों की आय अर्जन गतिविधियों में सहयोग आदि कार्य के लिये समूह सदस्यों में से ही सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों का चिन्हांकन एवं प्रशिक्षण किया गया। सामुदायिक स्रोत व्यक्ति सामुदायिक संस्थाओं के स्थाई रूप से सशक्तिकरण में सहभागी बने, साथ ही इस कार्य से उन्हें अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो रही है।

मिशन द्वारा लगभग 6000 महिलाओं को कम लागत कृषि एवं जैविक खेती पर प्रशिक्षित किया गया। इन्होंने मास्टर कृषि सी.आर.पी. के रूप में न केवल अपने घर, गांव जिला प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों जैसे-हरियाणा, उत्तरप्रदेश व पंजाब में भी सेवाएं देकर अपनी अलग पहचान बनाई है। सामाजिक सशक्तिकरण के साथ-साथ आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी महिलाओं ने नये आयाम स्थापित किये हैं। समूहों से जुड़े कई ऐसे परिवार भी हैं जिनकी मासिक आय 50 हजार रुपये तक है। लाखों की संख्या में महिलाओं ने पुराने जीर्ण-शीर्ण घरों की जगह अपने पक्के मकान, दुकान आदि बनवा लिये हैं, कृषि भूमि खरीदी है तथा साहूकारों के कर्ज जाल से मुक्ति पाकर नये जीवन की शुरुआत की है। बदलाव की नजीर देखें तो अकेले अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ क्षेत्र में 19 गांवों के 26 समूहों के 76 सदस्यों ने 26 लाख से अधिक रुपये से गिरबी रखी 176 एकड़ जमीन साहूकारों के कर्जे से वर्ष 2019 में मुक्त कराई। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण विभिन्न जिलों में हैं। समूह सदस्यों की आय में वृद्धि होने से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने पर उन्होंने स्वयं की अपूर्ण पढ़ाई फिर से शुरू कर व्यवसायिक कोर्स जैसे बी.एस.डब्ल्यू. एम.एस.डब्ल्यू. भी किया है। साथ ही बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, दो पहिया, चारपहिया वाहन, कृषि यंत्र आदि खरीदे हैं।

स्वयं का आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण करने के साथ-साथ अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकना, घरेलू हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाना, नशा मुक्ति कराना, सामुदायिक विकास के कार्यों की निगरानी, गांव के बेरोजगार युवक-युवतियों को रुचि अनुसार रोजगार, स्वरोजगार प्रशिक्षण दिलाने जैसे काम विभिन्न उप-समितियों के माध्यम से महिलाएं कर रही हैं। स्व-सहायता समूहों में मिले अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए अपनी क्षमता के अनुसार काम करके प्रतिभा प्रदर्शन से मिली अलग पहचान की बदौलत ही महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्र में परिवारिक तथा सामुदायिक सत्ता पर अपना वर्चस्व कायम किया है। जो कि महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के जीवंत उदाहरण हैं।

● **दिनेश दुबे**
राज्य आजीविका मिशन

ग्रामीण गरीब हुए आत्मनिर्भर

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिनों गरीब कल्याण सप्ताह आयोजन श्रृंखला में 24 सितम्बर को ग्रामीण पथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना शुरू की। यह योजना ग्रामीणों का वास्तविक संबल बन गयी। योजना के तहत ग्रामीणों को 10 हजार रुपये का ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जाता है।

इस योजना को स्टाम्प ड्यूटी से भी मुक्त रखा गया है। यह योजना विशेषकर ग्रामीण शिल्पी जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, चर्मशिल्पी, केश शिल्पी, टेलर, हाथ ठेला चालक, साइकिल, मोटर साइकिल सुधारने वाले, फल-सब्जी, समोसा-कचौड़ी आदि बेचने वाले जैसे अन्य लघु व्यवसायियों के लिए शुरू की गयी है। कोरोना संकट में लॉकडाउन के बाद जब सभी काम बन्द हो गये थे। ग्रामीण शिल्पी और पथ विक्रेताओं के लिए आजीविका का संकट था। ऐसे में यह योजना मील का पत्थर साबित हुई। इस योजना से कई ग्रामीणजनों ने हित लाभ प्राप्त किया। उनका जीवन सामान्य हो चला है। बदलाव की बयार को जानने के लिए श्री देवेन्द्र गोरे ने कुछ ग्रामीणों से बात की। प्रस्तुत है उनकी विकास गाथा।

श्री अर्जुन माली
(मोबा. 8209184441)
ग्राम झागर, ग्राम पंचायत
झागर, जिला गुना

गुना जिले के झागर गांव के श्री अर्जुन माली राजस्थान में कोटा स्टोन पत्थर की कटाई का कार्य करते थे। जब सारा देश कोविड-19 संक्रमण की चपेट में आ गया, तब देशव्यापी लॉकडाउन हुआ। श्री अर्जुन का पत्थर कटाई का काम बन्द हो गया। परिवार के जीवन-यापन के लिए अर्जुन ने सब्जी बेचकर गुजारा किया।

फिर उन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के बारे में पता चला। उन्होंने आवेदन किया तो उन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत 10,000 रुपये का ऋण, मध्यांचल ग्रामीण बैंक से 21 सितम्बर 2020 को प्राप्त हुआ।

10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मिलते ही अर्जुन ने सब्जियों के साथ-साथ फल बेचना शुरू किया। अब उनकी आमदनी काफी बढ़ गयी वे प्रतिदिन 500 से 700 रुपये कमाने लगे हैं।

अर्जुन के लिए जीवन-यापन की

व्यवस्था के साथ सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वे गांव में ही रह कर अपने माता-पिता की सेवा कर पा रहे हैं। उन्होंने दैनिक जरूरत पूर्ण करने के साथ बचत कर बैंक की दो किश्तें भी वापस कर दी हैं।

श्री भागीरथ बागले
(मोबा. 7879554830)
ग्राम बक्सनपुर, ग्राम पंचायत
सुजाखेड़ी, जिला गुना

बक्सनपुर गांव के श्री भागीरथ मनिहारी की दुकान चलाते थे, इसमें परिवार के दैनिक भरण-पोषण की व्यवस्था हो जाती थी।

कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन के दौरान उनका काम पूरी तरह बंद हो गया, परिवार के भरण-पोषण के लिए वे मजदूरी का कार्य करने लगे। जब प्रदेश में मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना शुरू हुई तो भागीरथ को आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने योजना के तहत आवेदन किया। इसके द्वारा भागीरथ को ब्याज रहित ऋण मध्यांचल ग्रामीण बैंक से 21 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुआ।

ऋण मिलते ही उन्हें अपना मनिहारी व्यवसाय पुनः शुरू होने की उम्मीद जागी। उन्होंने अपनी पुरानी मनिहारी की दुकान शुरू कर दी। अब वे 200-250 रुपये कमा लेते हैं।

मनिहारी का कार्य पुनः शुरू होने पर भागीरथ बहुत खुश हैं और उन्होंने बैंक की दो किश्तें भी वापस कर दी हैं।

श्री अजय श्रीवास्तव
(मोबा. 9399517827)
ग्राम ननौरा, पोस्ट पोहरी, तहसील
पोहरी, जिला शिवपुरी

एक समय था जब शिवपुरी जिले के ननौरा गांव के श्री अजय श्रीवास्तव गांव-गांव जाकर फेरी लगाकर मनिहारी की दुकान चलाते थे। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन लगने से श्री अजय का यह कार्य बन्द हो गया वे अपने परिवार का भरण-पोषण भी नहीं कर पा रहे थे। जमा पूंजी से बमुश्किल कुछ दिन काम चलाया, पर जब जमा पूंजी भी खत्म हो गई तो अजय और उसका परिवार अत्यन्त चिंतित था। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा जीवन-यापन। इन तमाम प्रश्नों का समाधान लेकर आयी मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना। योजना के तहत ब्याज मुक्त 10,000 रुपये का लोन प्राप्त हुआ तो श्री अजय ने 10,000 का सामान भरकर दुकान फिर से चालू कर दी। इससे उनके परिवार का आत्मविश्वास लौट आया, जीवन-यापन बहाल हो गया। श्री अजय कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चाहौन जी ने हम गरीब लोगों को बिना ब्याज का लोन देकर हमें नया जीवन दिया है। अब मैं 400-500 रुपये प्रति दिवस कमा लेता हूं। रोजमर्रा की आवश्यकता पूर्ति के साथ मैंने बैंक की दो किश्तें भी जमा कर दी हैं। इस तरह मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना ने अजय को आत्मनिर्भर बना दिया है।

श्री गोविंद राजपूत
(मोबा. 7723082503)
ग्राम सेसई, विकासखण्ड
कोलारस, जिला शिवपुरी

शिवपुरी जिले के सेसई गांव के श्री गोविंद राजपूत लगभग 5 वर्षों से गांव में ठेले पर चाय बेचने का कार्य कर रहे थे। इससे प्राप्त आय से उनके परिवार का भरण-पोषण हो रहा था।

कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण लगभग 3 महीने तक उनकी दुकान बंद रही। इससे उन्हें और उनके

परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। गोविंद को चिंता थी आखिर परिवार कैसे चलाएं। तभी उन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत ऑनलाइन पंजीयन किया। पंजीयन के बाद उन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत 10,000 रुपये का ऋण मध्यांचल ग्रामीण बैंक से सितम्बर 2020 को प्राप्त हुआ। ऋण मिलते ही गोविंद ने अपने काम को विस्तारित कर दिया। अब चाय के साथ-साथ वे पेटीज भी बेचने लगे हैं। इससे उनकी आय प्रतिदिन 300 से 400 रुपये हो जाती है। उनके द्वारा एक माह की किश्त भी बैंक को वापस कर दी गई है।

सुश्री दीक्षा चौहान
(मोबा. 7999788355)
ग्राम बघुवार, विकासखण्ड करेली,
जिला नरसिंहपुर

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना ने प्रदेश के सुदूर अंचल में बसे ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया है। गांव के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए भी यह योजना वरदान साबित हुई है। ऐसा ही एक उदाहरण है नरसिंहपुर जिले के बघुवार गांव की सुश्री दीक्षा चौहान का। दीक्षा अपने रोज़गार को लेकर काफी परेशान थी। जब मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की जानकारी मिली तो दीक्षा ने अपना व्यवसाय शुरू करने की योजना बना ली। उन्हें इस योजना के तहत ब्याज रहित 10 हजार रुपये का ऋण पंजाब नेशनल बैंक से 5 नवम्बर को प्राप्त हुआ। दीक्षा के सपनों ने आकार लेना शुरू किया। उन्होंने 10वीं तक के बच्चों के लिए कोचिंग क्लास शुरू की और साथ में ऑनलाइन कपड़े बेचने का व्यवसाय भी शुरू कर दिया। अपने दोनों कामों से दिशा को 5,500 से 6,000 रुपये प्रतिमाह आय हो जाती है। दीक्षा मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की आभारी हैं। वह कहती हैं इस योजना से मुझे काम करने की दिशा मिल गयी है।

कैलाश का संबल

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना

कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान कई लोगों के रोज़गार पर सीधा प्रभाव पड़ा था। विशेषकर वे लोग जो घूम-घूम कर गांव-गांव जाकर अपना सामान या सब्जी आदि बेचने का कार्य करते थे। इस दौरान बेरोजगारी और आर्थिक संकट की स्थिति से जूझने वालों में एक हैं कैलाश जायसवाल। कैलाश अनूपपुर जिले के कोतमा विकासखण्ड के चाका गांव के रहने वाले हैं। कैलाश अपने गांव और हाट बाजार में साइकिल पर सब्जी लेकर जाते और घूम-घूम कर सब्जी बेचा करते थे। लॉकडाउन के चलते उनका यह काम बन्द हो गया। कैलाश पर उनके परिवार में माता-पिता, दिव्यांग भाई और पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी थी। अचानक आए कोरोना संकट से उत्पन्न बेरोजगारी में कैलाश का अपने परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा था। आवश्यकतानुसार कैलाश ने मनरेगा में मजदूरी करना शुरू किया। जैसे तैसे कैलाश बमुश्किल गुजारा कर रहा था। ऐसे संकट के समय में कैलाश को संबल मिला मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना से। जानकारी मिलते ही कैलाश ने मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन टीम कोतमा के सहयोग से अपना पंजीयन करवाया और ब्याज मुक्त दस हजार रुपये का ऋण प्राप्त करने हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण कीं। आवेदन जमा करने के बाद कैलाश को राशि का इंतजार था। कैलाश ने बताया कि मेरे मोबाइल पर बैंक से सीधे ऋण स्वीकृति का मेसेज आया। मैं मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा निगवानी गया। वहाँ मैंने ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया पूर्ण की। इस सम्पूर्ण कार्य में मुझे बैंक के लोगों द्वारा अच्छा सहयोग मिला और इस तरह मुझे 10 हजार रुपये का ऋण प्राप्त हो गया। पैसे मिलते ही मैंने पुनः अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। मेरी चलित सब्जी बेचने की दुकान पुनः चलने लगी। अब मैं लगभग 200 रुपये या कई बार उससे भी ज्यादा कमा लेता हूँ। अब मेरा परिवार भी खुश है, मैं उनकी आवश्यक जरूरतों को पूर्ण करने में आर्थिक रूप से सबल हो चला हूं। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना से मुझे जो संबल मिला इससे मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आया है, मेरे परिवार के चेहरे जो उदास हो गये थे, वे फिर मुस्कुराने लगे हैं। सरकार की यह योजना इस कोरोना काल में मेरे जैसे कितने ही गरीब लोगों के जीवन का सहारा बन कर आयी है। विगत दिनों प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना शुरू की गयी। यह योजना ग्रामीण गरीबों के उत्थान के उद्देश्य से लागू की गयी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की गरीब जनता के जीविकोपार्जन के लिए इस योजना की शुरुआत कोविड काल के दौरान की। इसमें ग्रामीण पथ विक्रेताओं और शिल्पियों को ब्याज रहित दस हजार रुपये का ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना को ऐसे समय में अमल में लाया गया जब लॉकडाउन के बाद ग्रामीण गरीबों का व्यवसाय समाप्त हो गया था। उनके जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं था अपने परिवार के भरण-पोषण की असमर्थता से इनका आत्मविश्वास खोने लगा था। ऐसे समय में यह योजना संबल बनी और ग्रामीण गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है।

● **विकास तिवारी**
लेखक पत्रकार हैं

नक्षत्र वाटिका का सृजन

आपदा को अवसर में बदलने की अनूठी पहल

मध्यप्रदेश में आपदा को अवसर में बदलने के अनेक उदाहरण हैं। यदि उचित मार्गदर्शन, प्रेरणा और सहयोग हो तो अभूतपूर्व परिणाम निकल कर आते हैं ऐसा ही नवाचार किया गया है भोपाल से 180 किलोमीटर दूर बैतूल जिले की कान्हावाड़ी ग्राम पंचायत ने।

यह नवाचार है नक्षत्र वाटिका का निर्माण। भारतीय मनीषियों ने स्वस्थ जीवन और समुचित उन्नति के लिए अत्यंत शोध और अनुसंधान से 27 नक्षत्र, 12 राशियों और 9 ग्रहों के लिए पौधे निर्धारित किये हैं और ग्रह के अनुरूप पौधा लगाने की सलाह दी है। नक्षत्र, ग्रह और राशि अनुसार वृक्ष लगाने का परामर्श इसलिए था ताकि समाज में लोग अपने ग्रह-नक्षत्रों के अनुरूप ऊर्जा के संतुलन हेतु पौधे लगायें। यह तो स्वास्थ्य लाभ का पक्ष है। इसके साथ एक आर्थिक पक्ष भी है, इन सभी पौधों से जो लकड़ी और फल आदि प्राप्त होंगे, इससे व्यक्ति को आर्थिक उपार्जन होगा।

भारतीय चिन्तन से उपजे इस वैज्ञानिक व्यवहारिक पक्ष को आज के परिप्रेक्ष्य में ढालकर एक पंचायत में विकसित करना अत्यन्त सराहनीय कार्य है।

नक्षत्र वाटिका को लेकर पूछने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बैतूल श्री एम.एल. त्यागी ने बताया कि पर्यावरणीय दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से दूरगामी परिणाम के साथ इस नक्षत्र वाटिका को विकसित करने की मूल वजह थी ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के हाथों में काम देना एक बड़ी चुनौती थी।

27 नक्षत्रों के लिए निर्धारित पौधे

अश्विनी	:	कोचिला	स्वाती	:	अर्जुन
भरनी	:	आंवला	विशाखा	:	कटैया
कृतका	:	गुल्लड़	अनुराधा	:	भालसरी
रोहिणी	:	जामुन	ज्योष्ठा	:	चीर
मृगशिरा	:	खैर	मूला	:	शाल
आद्रा	:	शीशम	पूर्वाषाढ़	:	अशोक
पुनर्वसु	:	बांस	उत्तराषाढ़	:	कटहल
पुष्य	:	पीपल	श्रवण	:	अकौन
अश्लेषा	:	नागकेसर	धनिष्ठा	:	शमी
मघा	:	बट	शतभिषा	:	कदम्ब
पूर्वा फाल्गुन	:	पलास	पूर्व भाद्र	:	आम
उत्तरा फाल्गुन	:	पाकड़	उत्तर भाद्र	:	नीम
हस्त	:	रीठा	रेवती	:	महुआ
चित्रा	:	बेल			

12 राशि के लिए निर्धारित पौधे

राशि	:	पेड़-पौधे
मेष	:	आंवला
वृष	:	जामुन
मिथुन	:	शीशम
कर्क	:	नागकेश्वर
सिंह	:	पलास
कन्या	:	रीठा
तुला	:	अर्जुन
वृश्चिक	:	भालसरी
धनु	:	जलवेतस
मकर	:	अकोन
कुंभ	:	कदम्ब
मीन	:	नीम

कान्हावाड़ी नक्षत्र वाटिका की परिकल्पना रोज़गार की आपदा से ही उपजी थी। कान्हावाड़ी में 400 परिवारों को काम देना था। इसके अतिरिक्त 13 प्रवासी श्रमिक जो अपने घर लौटे थे। उन्हें भी काम दिया जाना था। काम को लेकर योजना चल रही थी कि श्रमिकों के हाथों में काम भी हो और ग्रामीणों के लिए उपयोगी संरचना निर्मित हो। कार्य को लेकर पहले औषधीय पौधे लगाने की योजना बनी। फिर

ग्राम पंचायत ने नक्षत्र वाटिका निर्माण को लेकर कार्य करना शुरू किया। नक्षत्र वाटिका कार्य को मनरेगा और 14वें वित्त आयोग की राशि के तहत शामिल किया गया। यह नक्षत्र वाटिका 12 हजार हेक्टेयर फीट क्षेत्र में तैयार की गयी है। इसमें 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 ग्रहों की दिशा के अनुसार नक्षत्र, राशि और ग्रहों के लिए निर्धारित पौधे रोपे गये। वाटिका में एक्युप्रेशर ट्रेक, पाथ-वे, सात प्रकार की तुलसी के पौधों का तुलसी कानन बनाया गया है। यहां औषधीय पौधों का बना औषधि कानन और पोषण वाटिका भी इसी परिसर में शामिल है। ग्राम पंचायत में 534 लोगों को मनरेगा के तहत काम दिया गया। जिससे 19 हजार 945 मानव दिवस सृजित किये गये। उत्साहित होते हुए कान्हावाड़ी की कांति देवी कहती हैं कि इस नक्षत्र वाटिका को बनाने में हमारे गांव की महिलाओं ने मिस्त्री का कार्य किया है। इस संपूर्ण कार्य से कांतिदेवी की ही तरह कई महिलाओं को लॉकडाउन के दौरान काम मिला, उन्हें आर्थिक संबल मिला।

9 ग्रह के निर्धारित पौधे

सूर्य	:	अकोन (एकवन)
चन्द्रमा	:	पलास
मंगल	:	खैर
बुद्ध	:	चिरचिरी
गुरु	:	पीपल
शुक्र	:	गुलड़
शनि	:	शमी
राहु	:	दुर्वा व
केतु	:	कुश

जिला पंचायत का मार्गदर्शन ग्राम पंचायत की जीजिविषा ने मिलकर प्रदेश में नवाचार का अद्भुत, अनूठा इतिहास रचा है। विगत दिनों मुख्यमंत्री जी को जब कान्हावाड़ी की कांति देवी ने नक्षत्र वाटिका के निर्माण को लेकर बताया तो उन्होंने कहा यही तो है आपदा को अवसर में बदलने की अनूठी अद्भुत पहल।

● **देवेन्द्र गोरे**
लेखक पत्रकार हैं

गांव की पहली शिक्षित बेटी सरपंच
मोना कौरव ने बदल दी गांव की तस्वीर

नरसिंहपुर जिले के चॉवरपाठा जनपद की सडूमार पंचायत की सरपंच मोना कौरव ने वर्ष 2016 में ग्राम प्रधान का दायित्व ग्रहण करने के पूर्व ही गांव के विकास की योजना बना ली थी। गांव की पहली सर्वाधिक शिक्षित बेटी मोना ने चरणबद्ध तरीके से अपनी पंचायत को विकास की ओर अग्रसर किया। सरपंच के संकल्प से सडूमार पंचायत कुपोषण मुक्त पंचायत, बाह्य शौचालय मुक्त होने के साथ शासकीय योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ, सड़क, पानी, स्वच्छता, साफ-सफाई और आवास आवंटन का यथोचित क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस बार हमारी पंचायत में हम आपको जानकारी दे रहे हैं अपनी पंचायत के विकास के लिए संकल्पित सडूमार की सरपंच मोना कौरव द्वारा अपनी पंचायत में किये गये विशेष प्रयासों की।

नरसिंहपुर जिले के चॉवरपाठा जनपद के सडूमार की सरपंच मोना कौरव ने गांव की परम्परा को तोड़कर एमएससी फूड एण्ड न्यूट्रीशन तथा लॉ की पढ़ाई की। सडूमार में लड़कियां 8वीं के बाद आगे नहीं पढ़ती थीं। मोना ने उस बंदिश को पार कर गांव में मिसाल कायम की। लीक से हटकर सोचने वाली मोना जब पढ़-लिखकर गांव पहुंची तो मोना ने नौकरी करने के स्थान पर अपने गांव के विकास को चुना।

गांव की पहली पढ़ी-लिखी बेटी होने के नाते मोना ने गांव के विकास और शासकीय प्रस्ताव को लेकर पड़ताल की, घाल-मेल दिखने पर आवाज उठाई। गांव की बेटी की इस पहल को गांव वालों ने सर आंखों पर लिया। गांव वालों ने ही मोना को गांव का सरपंच बनाने का प्रस्ताव दिया। मोना के सामने दो विकल्प थे एक शहर की अच्छी नौकरी, दूसरा अपने गांव का वास्तविक विकास। मोना ने बचपन से गांव की दुख तकलीफों को करीब से देखा है। उन्होंने गांव को चुना और 2016 में मात्र 21 वर्ष की आयु में सडूमार के प्रधान का दायित्व संभाल लिया।

मोना ने बताया कि सरपंच बनना उसके लिए मात्र जनप्रतिनिधि बनना नहीं था, अपने गांव का संपूर्ण विकास उसका मिशन है। सरपंच बनने के बाद मोना ने गांव के समग्र विकास के लिए कार्य करना शुरू किया। अपने गांव के सभी कार्य समय पर और आवश्यकता अनुसार पूर्ण किये और पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाया। सडूमार पंचायत बाह्य शौचालय मुक्त पंचायत के रूप में विशेष पहचान रखती है। चूंकि मोना ने फूड एण्ड न्यूट्रीशन में एमएससी किया है तो वे जानती हैं कि कुपोषण को कैसे दूर किया जा सकता है। मोना ने कुपोषण के खिलापफ जंग छेड़ दी। उन्होंने कुपोषण को मिटाने के लिए गांव के पंद्रह कुपोषित बच्चों को गोद लिया। स्वास्थ्य विभाग की दो सहायिकाएं मोना के साथ कुपोषण दूर करने में साथ हो लीं। पूरे मन से बच्चों की देखभाल और पोषण के विशेष प्रयास से सडूमार गांव कुपोषण मुक्त गांव

उपलब्धि

- मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा सबसे युवा सरपंच पुरस्कार।
- यंग लीडर्स कान्क्लेव में यूथ आइकॉन। डॉ. अब्दुल कलाम राष्ट्र निर्माण पुरस्कार, राजस्थान।
- उच्च शिक्षित आदर्श युवा सरपंच पुरस्कार 2008 एम.आई.टी. पुणे।
- फेमिना वर्ल्ड वुमेन कांग्रेस मुम्बई में लीडरशिप अवॉर्ड, सी.एस.आर. दिल्ली में यंग लीडर अवॉर्ड।

बन गया। मोना ने बताया कि गांव के विकास के लिए जो बजट सरकार दे रही है वह पर्याप्त बजट है। यदि कार्य करने में लापरवाही और भ्रष्टाचार न हो तो गांव का संपूर्ण विकास संभव है। सडूमार गांव में प्रवेश करते ही वहां के दृश्य-परिदृश्य को देखकर पंचायत द्वारा किये गये कार्य स्वतः अपनी गाथा बयां करते हैं। साफ सुथरा गांव, व्यवस्थित सड़कें, नाली की व्यवस्था, बाउंड्रीवॉल सहित स्कूल, आंगनवाड़ी चबूतरा, स्वास्थ्य केन्द्र, ई-पंचायत कक्ष, ग्राम पंचायत भवन, यात्री प्रतीक्षालय, हाट बाजार, सामुदायिक भवन, गौशाला तथा अन्य अधोसंरचनाओं से समृद्ध सडूमार पंचायत की अपनी अलग पहचान है। सरपंच बनते ही मोना ने ग्राम स्तर पर कई नवाचार शुरू किये जिनमें समाधान अभियान, कुपोषण से मुक्ति, दुर्गोत्सव योजना, सरपंच पाठशाला, वरिष्ठ कथा वाचन कार्यक्रम शामिल हैं। मोना की विविध स्तर पर विशेष पहलों से ग्राम

जनभागीदारी से किये गये कार्य

- स्कूल बाउंड्रीवॉल 8 लाख रुपये।
- सी.सी. रोड 5 लाख रुपये।
- मुक्तिधाम बाउंड्रीवॉल 8 लाख रुपये।
- तालाब पिचिंग कार्य 10 लाख रुपये।
- नाली निर्माण कार्य 4.99 लाख रुपये।

सडूमार पंचायत में किये गये कार्य

- तालाब गहरीकरण कार्य, लागत 15 लाख रुपये।
- गोबर गैस निर्माण कार्य, लागत 15 लाख रुपये।
- तालाब घाट का निर्माण कार्य, नाडेप निर्माण कार्य।
- मुक्ति धाम निर्माण कार्य, लागत 1.59 लाख रुपये।
- खेल मैदान निर्माण कार्य, लागत 3.53 लाख रुपये।
- सुदूर सड़क निर्माण कार्य 12.45।
- सड़क निर्माण कार्य लागत-35 लाख रुपये।
- आंगनवाड़ी बाउंड्रीवॉल 48,000 रुपये।
- पाइपलाइन कार्य 27.88 लाख रुपये।
- पंचायत भवन 15 लाख रुपये, आयुष भवन 34 लाख रुपये।
- आंगनवाड़ी भवन 15 लाख रुपये, व्यायामशाला 5 लाख रुपये।
- स्वास्थ्य केन्द्र बाउंड्रीवॉल की मरम्मत, e कक्ष 5 लाख रुपये।
- चबूतरा निर्माण कार्य 0.50 लाख रुपये।
- पुस्तकालय निर्माण कार्य 1.50 लाख रुपये।
- सी.सी. रोड निर्माण कार्य 6.50 लाख रुपये।
- सी.सी. रोड नाली एवं चबूतरा निर्माण कार्य 2 लाख रुपये।
- यात्री प्रतीक्षालय 1 लाख रुपये।
- सामुदायिक भवन 10 लाख रुपये।
- सरपंच पाठशाला - शासकीय स्कूल के बच्चों को पाठशाला में निःशुल्क कोचिंग।
- दुर्गोत्सव योजना - बेटी के जन्म उपरांत प्रथम ग्राम प्रवेश पर उसका स्वागत।
- बुजुर्ग स्नेह योजना - श्रावण मास में माह भर शिवपुराण कथा आयोजित करना।
- कुपोषण मुक्त एवं बाह्य शौच मुक्त पंचायत।

विकास तथा हितग्राहीमूलक सभी कार्यों का ग्रामवासियों को लाभ मिलने लगा है। अक्सर हम सुनते हैं कि गांवों के विकास से ही देश समृद्ध हो सकता है। इसीलिए गांवों के समग्र विकास के लिए त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था कायम की गयी है। ग्राम पंचायत प्राथमिक इकाई है। यदि देश की ग्राम पंचायतों में मोना कौरव जैसी सरपंच पूर्ण समर्पित भाव से कार्य करे तो निश्चित ही मुख्यमंत्री जी के आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के संकल्प को पूर्ण किया जा सकता है।

● **संध्या पाण्डेय**
लेखक स्तम्भकार हैं

15वें वित्त आयोग क्रियान्वयन हेतु डिस्ट्रिक एक्शन प्लॉन

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/पं.रा./CFC/2020/11325 **भोपाल, दिनांक 01.10.2020**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त)
   जिला, म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)
   जिला पंचायत, म.प्र.।

विषय :- 15वें वित्त आयोग क्रियान्वयन हेतु District Action Plan.

संदर्भ :- विभाग का पत्र क्र. 321 दिनांक 09.06.2020

15वें वित्त आयोग द्वारा नवंबर, 2019 में अपनी अनुसंशायें जारी की हैं जो अप्रैल 01, 2020 से लागू हैं एवं आयोग की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक रहेगी। 15वें वित्त आयोग अनुदान राशि त्रि-स्तरीय पंचायतों के मध्य निम्नानुसार वितरण किया जाना प्रावधानित है।

- ग्राम पंचायत 85%
- जनपद पंचायत 10%
- जिला पंचायत 05%

उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाली अनुदान राशि में से न्यूनतम 50% टाईड राशि होगी जो पेयजल, स्वच्छता, जल संरक्षण संबंधी कार्यों पर व्यय होगी एवं शेष 50% राशि बेसिक ग्रांट (अनटाईड) अन्य निर्माण कार्यों पर भी व्यय की जा सकेगी। त्रि-स्तरीय पंचायतों द्वारा उपरोक्तानुसार तथा प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का चयन पर प्रत्येक वर्ष विकास योजना (GPDP) बनाई जावेगी जिसमें सम्मिलित समस्त कार्य/गतिविधि भारत सरकार, पंचायती राज के ''ई-ग्राम स्वराज पोर्टल'' (https://egramswaraj.gov.in) पर प्रविष्ट की जाकर तदनुसार ही अनुदान राशि का व्यय PFMS eGramSwaraj के माध्यम से संपादित किया जावेगा।

A. ग्राम पंचायत प्लान (Planning by Gram Panchayat) -

ग्राम पंचायत का प्लान ''सबकी योजना सबका विकास'' अभियान के अनुरूप तैयार किया जाएगा। ग्राम पंचायत की कार्य योजना के निर्माण के लिए ''ग्राम सभा'' का आयोजन किया जावे। जिसमें ग्राम स्तर पर क्रियाशील स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष, सदस्य तथा ग्राम पंचायत/क्लस्टर स्तरीय विभिन्न विभागों के शासकीय कर्मचारी शामिल रहेंगे।

ऐसी गतिविधियां जो वृहद प्रकृति की हैं अथवा जिनके लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है उनको पृथक से सूचीबद्ध कर जनपद/जिला पंचायत के प्लान में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।

प्लान में ली गई गतिविधियों को नजरी नक्शा/डिजिटल रूप से सेक्टरवार आवश्यक विवरण के साथ प्रदर्शित किया जावे। प्रत्येक प्रस्तावित गतिविधि पर चर्चा कर ग्राम पंचायत के प्लान को अंतिम रूप दिया जावे एवं ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जावे।

B. जनपद पंचायत प्लान (Planning by Intermediate Panchayat) -

ऐसे कार्य जिनका प्रभाव क्षेत्र दो या दो से अधिक ग्राम पंचायत से है, उनकी कार्य योजना जनपद पंचायत को प्रेषित की जावेगी एवं जनपद पंचायत द्वारा अपनी कार्य योजना में शामिल करने हेतु निर्णय लिया जावेगा।

जनपद पंचायत की कार्य योजना के निर्माण के लिए ''खण्ड स्तरीय सभा'' का आयोजन किया जावे। इसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद सदस्य, संबंधित जिला पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत के सरपंच, क्रियाशील स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष तथा

जनविकास खण्ड स्तरीय सभी लाइन डिपार्टमेंट के प्रमुख अधिकारी शामिल रहेंगे।

प्लान को अंतिम रूप देने के पूर्व प्रपत्र निर्धारित करके प्रस्तावित गतिविधियों की सूची आमंत्रित सदस्यों को वितरित की जावे।

खण्ड स्तरीय सभा द्वारा जनपद पंचायत के प्लान को अनुमोदित किया जावेगा अवाम पलान में ली गई गतिविधियों को नजरी नक्शा/डिजिटल रूप से सेक्टरवार आवश्यक विवरण के साथ प्रदर्शित किया जावे। प्रत्येक प्रस्तावित गतिविधि पर चर्चा कर जनपद पंचायत के प्लान को अंतिम रूप दिया जावे एवं ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जावे।

ऐसी गतिविधियां जो जिलास्तर से संबंध रखती हैं अथवा जिनके लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है उनको पृथक से सूचीबद्ध कर जिला पंचायत के प्लान में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।

C. जिला पंचायत प्लान (Planning by District Panchayat**) –**

जिला पंचायत स्तर पर विकास सेमीनार/कार्यशाला आयोजित कर जिला पंचायत का प्लान तैयार किया जावे जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत, सदस्य, समस्त जनपद पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत, सरपंच एवं जिला स्तरीय सभी लाइन डिपार्टमेंट के प्रमुख अधिकारी, शामिल होंगे।

प्लान को अंतिम रूप देने के पूर्व प्रपत्र निर्धारित करके प्रस्तावित गतिविधियों की सूची आमंत्रित सदस्यों को वितरित की जावे जिसमें जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों की वित्तीय संसाधनों के अनुरूप चर्चा कर जिला पंचायत के प्लान को अंतिम रूप दिया जाकर जिला पंचायत की सामान्य सभा में अनुमोदित कर ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जावे।

जिला पंचायत के प्लान में ली गई गतिविधियों को नजरी नक्शा/डिजिटल रूप से सेक्टरवार आवश्यक विवरण के साथ प्रदर्शित किया जावे।

D. District Planning Committee (DPC) का गठन एवं District Development Plan -

जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में District Planning Committee (DPC) गठन किया जावे। समिति के अन्य सदस्यों में अध्यक्ष, जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के प्राधिकृत अधिकारी जिन्हें कलेक्टर द्वारा नामांकित किया जावे; शामिल होंगे। समिति जिले की त्रि–स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों द्वारा तैयार प्लान से Integrated Comsolidate plan तैयार कर अनुमोदित करेगी जो District Development Plan कहलायेगा।

E. कार्यों के चयन हेतु कार्य–क्षेत्र –

E-1. Tied Grant (आवद्ध राशि)

पेयजल, स्वच्छता एवं जल की रिसाइक्लिंग करने संबंधी कार्य (15वें वित्त आयोग अनुदान अंतर्गत कुल प्राप्त राशि का न्यूनतम 50%)

E. 1.1 निम्न कार्यों को कार्य योजना में प्राथमिकता पर लिया जावे –

- जल जीवन मिशन के कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण करने हेतु अभिसरण।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण में अभिसरण।
- अन्य ऐसा कोई कार्य जो राज्य शासन द्वारा प्राथमिकता पर लिया गया है।

E. 1.2 उक्त श्रेणी के सभी संभावित कार्य सम्मिलित होने के पश्चात निम्न कार्यों का चयन किया जावे –

पेयजल आपूर्ति संबंधी

- ऐसी नल–जल योजनायें जो ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं स्थापित की गई हैं अथवा पी.एच.ई. द्वारा ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की गई हैं, उनका संधारण। (संधारण का प्राक्कलन पी.एच.ई. द्वारा) तैयार किया जावेगा।
- पेयजल प्रदाय हेतु पाइप लाइन का विस्तार
- पेयजल हेतु तालाब निर्माण
- पेयजल कूप निर्माण, मरम्मत, गहरीकरण
- जल संरचनाओं का सुधार/जीर्णोद्धार
- पेयजल संग्रहण हेतु भूस्तर टंकी निर्माण
- ओव्हर हेड टैंक/संपवैल निर्माण/मोटर पंप क्रय
- सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था
- स्कूल, आंगनवाड़ी, हेल्थ सेंटर एवं अन्य शासकीय भवनों में जल की आपूर्ति
- पुराने पेयजल कूपों/बावड़ियों का सुधार
- पशु हौदी/पशुओं के पानी पीने हेतु संरचना निर्माण

स्वच्छता संबंधी

- गंदे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज नाली/नाला निर्माण/कव्हर करना
- सामुदायिक शौचालय/स्नानागार निर्माण/शासकीय भवनों में महिला/पुरुष शौचालय निर्माण
- स्थायी मेले/समारोह हेतु शासकीय भूमि पर स्थायी सामुदायिक शौचालय/स्नानागार निर्माण
- ग्रे वॉटर ट्रीटमेंट
- मैनुअल कचरा गाड़ी क्रय
- सामुदायिक कचरा पेटी स्थापित करना
- कचरा संग्रहण केंद्र
- नर्सरी स्थापना
- ग्राम पंचायत की साफ-सफाई का कार्य एवं साफ-सफाई से संबंधित सामग्री क्रय
- इंसीनेटर की स्थापना
- घाटों की पुताई एवं साफ-सफाई
- सामुदायिक गोबर गैस/जैविक खाद यूनिट की स्थापना जिसका संचालन SHG के माध्यम से किया जावेगा।
- सुरक्षा एवं जल की उपलब्धता होने पर न्यूनतम 10000 वर्ग फिट से अधिकतम 1 एकड़ क्षेत्र को सामुदायिक पार्क निर्माण एवं पौधारोपण। पार्क में पेवर ब्लॉक, बैंच, फुटपाथ, लाईट की व्यवस्था की जावे।

जल संरक्षण/संवर्धन संबंधी

- शासकीय भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग
- जल की रिसाइक्लिंग करना
- सोख्ता गड्ढा
- वर्षा के जल को गिट्टी, रेत आदि की संरचना बनाकर फिल्टर कर कूप पुनर्भरण
- नवीन स्टॉप डेम/चेक डेम निर्माण
- स्टॉप डेम/चेक डेम मरम्मत, गेट सुधार

अन्य जल-संवर्धन, जल-संरक्षण तथा स्वच्छता संबंधी निर्माण कार्य जिसकी जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अनुसंशा की जावे

F- Basic Grant **(अनावद्ध राशि)**

इस मद में आवश्यकतानुसार आवद्ध राशि से अनुमत्य कार्य भी स्वीकृत किये जा सकेंगे। कार्य स्वीकृति के पूर्व D-1.1 श्रेणी में दर्शित कार्यों को प्राथमिकता पर चयनित किया जावे।

E-1. अन्य नवीन अधोसंरचनात्मक कार्य (कुल प्राप्त राशि का 50%)

- गौ शाला निर्माण
- सी-सी सड़क सह पक्की नाली निर्माण
- रपटा/पुलिया निर्माण (ऐसे मार्गों पर जो अन्य विभाग/एजेंसी की कार्य योजना) में नहीं हैं।
- बाउण्ड्रीवॉल निर्माण पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, शासकीय भवन, सामुदायिक भवनों में।
- कांजी हाउस (2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में मॉडल प्राक्कलन एवं ड्राइंग अनुसार)
- पुस्तकालय भवन
- ग्राम पंचायत भवन/सामुदायिक भवन/आंगनवाड़ी भवन/चिकित्सा केंद्र भवन
- जैव विविधतता पंजी
- जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत भवन में डिजिटल अधोसंरचना विकसित करने हेतु VC Room कम्प्यूटर, प्रिंटर, वाई-फाई, फर्नीचर आदि।
- उ.मा. विद्यालय भवन/महाविद्यालय भवन।
- जिला/जनपद/ग्राम पंचायत की भूमि पर शासकीय आवास, शॉपिंग कॉम्पलेक्स
- हाट बाजार/दुकान निर्माण
- एलईडी स्ट्रीट लाइट (ऊर्जा विभाग के स्पेसिफिकेशन अनुसार)

- फेस मास्क/पी.पी.ई. किट/हैंड सेनेटाइजर/बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन/अचार/मुरब्बा/अगरबत्ती आदि कुटीर उद्योगों के उन्नयन हेतु लघु मेन्युफैक्चरिंग यूनिट/केंद्र जिसका उत्पादन एवं संचालन SHG के माध्यम से किया जावेगा।
- एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट/वेयर हाउस/कोल्ड स्टोरेज यूनिट जिसका उत्पादन एवं संचालन SHG के माध्यम से किया जावेगा।
- ओपन जिम, वॉलीबॉल/बैडमिंटन कोर्ट
- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य
- आंगनवाड़ी परिसर में बाउन्ड्रीवॉल, पेवर ब्लॉक, शौचालय, हैंडवॉश यूनिट, गार्डन, गार्डन में फिसलपट्टी, झूले एवं अन्य स्थायी प्रकृति के निर्माण आदि।
- बस स्टैण्ड/यात्री प्रतिक्षालय सह दुकान
- डामर रोड (बी.टी. रोड)
- आउटसोर्सिंग के आधार पर श्रमशक्ति एवं अन्य आवश्यक प्रशासनिक व्यय
- ग्रामीण निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रख-रखाव हेतु व्यय (जिसमें अनुबंध किया जाना होगा)।

अन्य ऐसे कार्य जो गैर अनुमत्य ना हों एवं जो जिला स्तरीय प्लानिंग समिति द्वारा अनुशंसा की जावे

F-2. 15वें वित्त आयोग की अनुसंशा अनुसार किसी भी प्रकार का स्थापना व्यय, वेतन/मानदेय भुगतान, टेंट किराया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकार्पण समारोह, एयर कंडीशनर, वाहन क्रय, विद्युत बिल, स्वल्पाहार पर व्यय, विज्ञापन/बैनर पर व्यय इस मद से नहीं किया जा सकेगा।

G. पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन

(1) शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों अनुरूप क्रियान्वयन एजेंसी चयनित की जावे।
(2) प्रत्येक निर्माण कार्य की प्रविष्टि कार्य स्वीकृति के साथ ही ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अनिवार्यतः की जाना होगी।
(3) प्रत्येक निर्माण कार्य के प्रारंभ के समय, कार्य की प्रगति के दौरान तथा कार्य पूर्ण होने के तत्काल पश्चात Geo tag फोटो एम एक्शनसॉफ्ट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
(4) प्रत्येक व्यय का बिल व्हाउचर संधारित करना अनिवार्य होगा।
(5) ग्राम पंचायत में विगत 06 माह से अधिक अवधि के संपूर्ण कार्य लंबित रहने पर नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किये जा सकेंगे।
(6) निर्माण कार्यों में मनरेगा योजना अंतर्गत अनुमत्य कार्यों के साथ प्रभावी कन्वर्जेंस एवं उनका सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित किया जावे।

H. गुणवत्ता नियंत्रण

(1) कार्य का प्राक्कलन उपयंत्री द्वारा तैयार किया जाकर सहायक यंत्री द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी। ऐसे कार्य जो मनरेगा में अनुमत्य हैं उनकी तकनीकी स्वीकृति भी सहायक यंत्री जारी करेंगे।
(2) स्वच्छता एवं पेयजल संबंधी कार्यों की मॉनीटरिंग स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के जिला समन्वयक एवं ब्लॉक समन्वयक करेंगे, साथ ही वे प्लानिंग में भी सहयोग करेंगे।
(3) कार्यों का भौतिक निरीक्षण एवं गुणवत्ता परीक्षण पंचायत समन्वय अधिकारी/उपयंत्री/सहायक यंत्री एवं अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से किया जावे।
(4) उपयंत्री द्वारा प्रत्येक निर्माण कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका में दर्ज किया जावेगा एवं कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र (CC) पर सरपंच, सचिव, उपयंत्री, सहायक यंत्री के हस्ताक्षर कर जिला एवं जनपद पचायंत स्तर पर संधारित करें।
(5) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला एवं जनपद पंचायत द्वारा पूर्ण-अपूर्ण निर्माण कार्यों की समीक्षा नियमित रूप से की जावे।
(6) संपादित कार्यों का ऑनलाइन ऑडिट किया जावेगा।

(मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

सबकी योजना सबका विकास अंतर्गत 2021–22 की ग्राम पंचायत विकास योजना

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/ /अ.मु.स./2020/22/पं–1/ /10629 **भोपाल, दिनांक 17.09.2020**

प्रति,

1. कलेक्टर
   जिला – समस्त (म.प्र.)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत – समस्त, म.प्र.

विषय : ''सबकी योजना सबका विकास'' अंतर्गत वर्ष 2021–22 की ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने के लिये दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2020 तक जन अभियान कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में।

संदर्भ : सचिव भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय का अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक M–11015/159/2019–CB दिनांक 18 अगस्त, 2020।

विषयान्तर्गत संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। भारत सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2020 तक ''सबकी योजना सबका विकास'' के तहत प्रदेश की समस्त 22811 ग्राम पंचायतों का मिशन अन्त्योदय एप के माध्यम से सर्वे एवं रैंकिंग की जाकर पंचायती राज संस्थाओं एवं संबंधित लाइन विभागों के समन्वय से वित्तीय वर्ष 2021–22 की ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने के लिये जन अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष अभियान में कोविड के परिप्रेक्ष्य में भारत शासन एवं राज्य शासन के जारी Standard operating Procedure (SOP) एवं निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों के प्लान ग्राम सभाओं की बैठक में या यथा परिस्थिति रहने पर ग्राम पंचायत की प्रशासन समिति की बैठक में अनुमोदन किये जावेंगे साथ ही वार्ड स्तर पर छोटे–छोटे ग्रुप में वार्ड स्तर पर लक्षित समूह बैठक जिसमें वार्ड प्रभारी पंच, उस वार्ड के कुछ सम्माननीय गणमान्य नागरिक एवं स्व–सहायता समूहों के प्रतिनिधि की सभा की जा सकेगी, जिसमें कोविड से बचाव एवं सावधानी हेतु सामाजिक/व्यक्ति दूरी एवं मास्क एवं सेनीटाइजेशन का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जावेगा।

अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यवाही संपन्न करने हेतु जिला कलेक्टर को जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को सहायक नोडल अधिकारी तथा जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। अभियान अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है :–

1. **अभियान पोर्टल तथा प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट (PMU)** – अभियान की मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग के लिये भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पोर्टल www.gpdp.nic.in बनाया गया है, जिस पर अभियान के पहले, अभियान के दौरान तथा बाद में गतिविधियों की जानकारी की रिपोर्टिंग निर्धारित प्रपत्रों में प्रविष्टि की जावेगी। राज्य स्तर पर पंचायत राज संचालनालय अंतर्गत जीपीडीपी पोर्टल/ई ग्राम स्वराज पोर्टल आईटी संबंधी कार्य हेतु डीडी आईटी/जीपीडीपी नोडल रहेंगे। अभियान संबंधी समस्त गतिविधियों/प्रशिक्षणों के अनुश्रवण एवं समन्वयन हेतु राज्य कार्यक्रम समन्वयक आरजीएसए–पीएमयू नोडल रहेंगे।
2. **प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये फेसीलिटेटर** – (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये फेसीलिटेटर की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जावेगी। फेसीलेटर का चयन ग्राम पंचायत में कार्यरत सीआरपी प्रथमतः जो कि पूर्व में फेसलिटेटर के रूप में कार्य कर चुके हों, को लिया जावे। तदउपरांत म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के CRPs फेसीलेटर्स की जिन्होंने वर्ष 2019–20 में मिशन अन्त्योदय के मोबाइल एप पर फेसीलेटर्स के रूप में कार्य किया है, को लिया जाये।
   (ii) ऐसे जिले जहां पर एमपी एसआरएलएम के CRPs/स्वच्छता मिशन के स्वच्छताहितग्राही उपलब्ध नहीं हैं या सक्रिय नहीं हैं, ऐसी ग्राम पंचायत में उपलब्ध अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों/स्वयंसेवी संस्थाओं में कार्यरत CRPs/प्रेरक अथवा अन्य योग्य कर्मचारी का चयन जिला परियोजना प्रबंधक एमपीएसएलएम के साथ समन्वयन कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत

द्वारा किया जावेगा, तदनुसार फेसीलेटर्स का नामांकन कलेक्टर द्वारा किया जावेगा।

(2) फेसीलेटर्स द्वारा किये जाने वाले कार्य –

(a) मिशन अंत्योदय के निर्धारित प्रपत्र अनुसार ग्राम पंचायत का मिशन अंत्योदय के अंतर्गत विभिन्न मापदण्डों के तहत सर्वे/रैंकिंग का कार्य किया जावेगा और वार्ड सभा/लक्षित समूह बैठक से अग्रेषित प्रस्ताव/मांग सूची ग्राम पंचायत बैठक में सत्यापन एवं अनुमोदन कराया जावेगा।

(b) GPDP निर्माण हेतु विशेष वार्ड सभाओं एवं ग्राम सभाओं में या यथा परिस्थिति रहने पर ग्राम पंचायत प्रशासकीय समिति बैठक के आयोजन मोबलाइजेशन एवं दस्तावेजीकरण सहयोग किया जावेगा। ग्राम पंचायत की आयोजन हेतु पुस्तिका में परिशिष्ट – VI अनुसार मॉडल शेड्यूल संलग्न है।

(c) वार्ड सभा की बैठकों के साथ–साथ पंचायत समिति/ग्राम सभा की बैठक में वंचित एवं गरीब वर्ग के समुदाय जिसमें विशेष रूप से एससी/एसटी एवं महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, दिव्यांगों आदि की सहभागिता सुनिश्चित करना।

(d) VOs/SHGs के द्वारा ग्राम पंचायत में गरीबी कम करने की योजना – ''ग्राम गरीबी उन्मूलन प्लान–वीपीआरपी'' के तैयार करने में तकनीकी रूप से सहयोग करने के साथ–साथ वार्ड सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत करने में मदद करना। इस योजना को बाद में पंचायत समिति के निर्णय व अनुमोदन से GPDP में शामिल किया जावेगा। गरीबी कम करने की योजना का टेम्पलेट परिशिष्ट – IX में संलग्न है।

(e) जीपीडीपी पोर्टल पर विभिन्न वार्ड सभा एवं ग्राम सभा पंचायत समिति की बैठक की रिपोर्ट अपलोड करना। टेम्पलेट परिशिष्ट – VIII संलग्न है।

(f) जीपीडीपी अभियान के अंतर्गत विभिन्न वार्ड सभा एवं पंचायत समिति की बैठक में विभागीय योजनाओं एवं बजट की जानकारी प्रस्तुतिकरण में लाइन डिपार्टमेंट्स के मैदानी अधिकारियों के साथ सहयोग करना।

3. **Gram Panchayat Development Plan (GPDP) –** अंतर्गत मिशन अन्त्योदय सर्वे 2020–21 भारत सरकार के द्वारा निर्धारित एप के माध्यम से अधोसंरचना, मानव विकास एवं आर्थिक एवं गतिविधि के आधार पर ग्राम पंचायतों की 100 की स्केल पर रैंकिंग हेतु श्री एल.एन. बेलवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम.पी.एस.आर.एल.एम. को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर, निम्नलिखित दायित्व सौंपे गये हैं –

1. मिशन अन्त्योदय के मापदण्ड अनुसार समस्त 22811 ग्राम पंचायतों का मिशन अन्त्योदय एप पर सर्वे/रैंकिंग कार्य अभियान की नियत समयावधि में पूर्ण करने के लिये, सर्वे हेतु फेसीलेटर्स की नियुक्ति, फेसीलेटर्स, टास्कफोर्स, पीआरआई, एसएचजी कन्वर्जेन्स का प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण उपरांत समस्त ग्राम पंचायतों का सर्वे, गरीबी उन्मूलन प्लान का निर्धारण (Poverty Reduction Plan for Year 2021–22), फेसीलेटर्स रिपोर्ट निर्धारण/अपलोडिंग, डाटा एकत्रीकरण तथा मिशन अन्त्येदय/एप में समस्त जानकारियां अपलोड करने की व्यवस्था।
2. PRI-SHG कन्वर्जेन्स एवं जनसहभागिता से 02 अक्टूबर 2020 की ग्राम सभा/वार्ड सभा/पंचायत की बैठक में सर्वे का अनुमोदन एवं लाइन–विभाग द्वारा किये गये मेपिंग का ग्राम सभा/पंचायत बैठक में अनुमोदन का कार्य तथा उसके पश्चात ग्राम पंचायतों के जी.पी.डी.पी. निर्माण हेतु समन्वयन।

4. **ग्राम पंचायत की बैठकों का कैलेण्डर –** ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने हतु दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2020 तक दो चरणों में ग्राम पंचायत की बैठकों का आयोजन किया जाना है। ग्राम सभाओं/प्रशासकीय समिति का कैलेण्डर इस प्रकार बनाकर जारी किया जावे, कि संविधान के अनुच्छेद 243–G अंतर्गत 11वीं अनुसूची अनुसार पंचायतों को सौंपे गये 29 विषयों से संबंधित लाइन विभागों के विकासखण्ड स्तर/ग्राम पंचायत स्तर के कम से कम 8 मैदानी अमले/फ्रन्ट लाइन वर्कर/अधिकारी प्रत्येक ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में अनिवार्यतः उपस्थित रह सकें। फेसीलेटर्स द्वारा ग्राम पंचायत के किये गये सर्वे, रैंकिंग की रिपोर्ट ग्राम सभा में प्रस्तुत की जावेगी। सर्वे की कमियों (Gaps) पर ग्राम सभा में उपरोक्तानुसार लाइन विभागों के मैदानी अधिकारियों की उपस्थिति में चर्चा की जावेगी। प्राप्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर समस्त विभागों के मैदानी अधिकारियों के सहयोग से ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का अंतिम प्रस्तावित प्लान तैयार किया जाकर द्वितीय चरण की ग्राम सभाओं में अनुमोदन कराया जावेगा तथा अनुमोदित GPDP प्लान भारत सरकार के पोर्टल www.gpdp.nic.in/प्लान–प्लस में अपलोड कराया जावे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपरोक्तानुसार समस्त विभागों के मैदानी अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये दोनों चरणों की ग्राम सभाओं का कैलेण्डर 21 सितंबर 2020 तक भारत सरकार के पोर्टल www.gpdp.nic.in पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

5. **लाईन डिपार्टमेन्ट्स के मैदानी अधिकारियों की सहभागिता –** लाइन डिपार्टमेन्ट्स के मैदानी अधिकारियों द्वारा ग्राम सभा में उनके विभाग से संबंधित गतिविधियों की संक्षिप्त प्रस्तुति दी जावेगी।

6. **प्रशिक्षण मॉड्यूल्स –** एन.आई.आर.डी.पी.आर. हैदराबाद द्वारा प्रशिक्षित राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा फेसीलिटेटर्स को प्रशिक्षण दिया जावेगा। संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, आधारताल, जबलपुर प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी रहेंगे, इसके अलावा

जीपीडीपी प्रशिक्षण हेतु पिछले वर्ष उपयोग में लाये गये एवं इस वर्ष एनआईआरडी से प्राप्त नवीन निर्देशानुसार प्रशिक्षण कराये जावेंगे।

7. **जन सूचना बोर्ड लगाया जाना** – प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रमुख स्थल पर 20x10 वर्ग फुट आकार का जन सूचना बोर्ड स्थापित किया जावे, जिसमें ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण जानकारी, मिशन अंत्योदय, सर्वे में प्राप्त महत्वपूर्ण कमियाँ (GAPS) तथा विभिन्न योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी दर्शित हो। जन सूचना बोर्ड का डिजाइन संलग्न परिशिष्ट – IV (अ) अनुसार रहेगी।
8. **सर्वे में पायी गई कमियों (Gaps) का ग्राम सभा की बैठकों में विश्लेषण** – सर्वे में पायी गई कमियों (Gaps) का ग्राम पंचायत की बैठकों में विश्लेषण किया जायेगा। इन कमियों के संबंध में लाइन डिपार्टमेंट्स द्वारा उनकी योजनाओं के तहत कार्यवाही की जावेगी। ग्राम सभा द्वारा कमियों को तीन श्रेणियों – अतिमहत्वपूर्ण (Critically Important), उच्च प्राथमिकता (High Priorit) एवं आवश्यक (Desirable) में वर्गीकरण करना। इन कमियों के आधार पर ग्राम पंचायत GPDP प्लान को अंतिम रूप दिया जावेगा।
9. **आधारभूत सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ** – वर्ष 2020–21 की GPDP निर्माण के समय 15वें वित्त आयोग से मूलभूत सेवाओं से संबंधित गतिविधियों हेतु राशि की उपलब्धता ग्राम पंचायत सुनिश्चित करेगी।
10. **अनुमोदित योजना का प्रकाशन** – ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्तानुसार अनुमोदित अंतिम GPDP योजना का प्रकाशन 31 दिसंबर 2020 तक, ई–ग्राम स्वराज एप्लीकेशन में पीडीएफ फॉर्मेट में किया जावेगा।
11. **नेशनल लेवर मॉनिटर्स** – रेंडम चयन के आधार पर NLMs द्वारा ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया जावेगा। NLM द्वारा अभियान के प्रभाव तथा मैदानी अधिकारियों/सुपरवाइजर की ग्राम पंचायत में उपस्थिति का सत्यापन किया जावेगा।
12. अभियान से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश भारत सरकार के पोर्टल www.gpdp.nic.in पर उपलब्ध हैं।
13. दिशा–निर्देशानुसार अभियान अंतर्गत कृत कार्यवाही की जानकारी समय–समय पर आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, म.प्र. को dirpanchayat@mp.gov.in पर उपलब्ध करावें।
14. भारत शासन के निर्देश एवं राज्य शासन के निर्णय अनुसार निम्नानुसार People Plan caimpaign की समय सीमा निर्धारित की गई है–

क्र.	गतिविधियां	समय सीमा/दिनांक
1.	मुख्यालय तर से GPDP जन अभियान अंतर्गत विस्तृत गतिविधिवार कैलेण्डर एवं निर्देशिका सहित परिपत्र का निर्धारण एवं संप्रेषण एवं राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी का नामांकन।	17 सितंबर 2020
2.	अभियान हेतु मास्टर ट्रेनर्स का 1 दिवसीय प्रत्यास्मण प्रशिक्षण	21 सितंबर 2020
3.	समस्त जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर जीपीडीपी नोडल अधिकारी एवं ग्राम पंचायत पर फेसिलिटेटर का नामांकन एवं पोर्टल पर अपलोडिंग	25 सितंबर 2020
4.	जीपीडीपी निर्माण हेतु समस्त ग्राम पंचायत की विशेष बैठकों का कैलेण्डर की जीपीडीपी पोर्टल/ई–ग्राम स्वराज में अपलोडिंग	25 सितंबर 2020
5.	फेसिलिटेटर जीपीपीएफटी की टेनिंग	30 सितंबर 2020
6.	सभी ग्राम पंचायतों में मिशन अन्त्योदय सर्वे पूर्ण कर अपलोड करना	10 अक्टूबर 2020
7.	ग्राम पंचायत की विशेष बैठक हेतु लाइन डिपार्टमेंट के फ्रन्ट लाइन वर्कर/अग्रिम पंथी के विभागीय अधिकारियों का नामांकन एवं जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोडिंग	30 सितंबर 2020
8.	प्रत्येक ग्राम पंचायतों पर लोक सूचना बोर्ड का प्रदर्शन एवं पोर्टल पर जियो टेग सहित फोटो अपलोडिंग	31 अक्टूबर 2020
9.	ग्राम पंचायत की विशेष बैठक में जियो टेग फोटो/विजुअल का जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोडिंग	ग्राम पंचायत की विशेष बैठक करने के तुरंत बाद
10.	अनुमोदित ग्राम पंचायत कार्य योजना को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर पब्लिश करना	31 दिसम्बर 2020

(मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

सबकी योजना सबका विकास अभियान एवं मिशन अन्त्योदय सर्वे कार्यक्रम

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/RGSA/**2020/22/पं-1/प.उ.स./11774** **भोपाल, दिनांक 15.10.2020**

प्रति,

कलेक्टर
जिला – समस्त

विषय : ''सबकी योजना सबका विकास'' अभियान एवं मिशन अन्त्योद सर्वे/कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) गठन के संबंध में।

संदर्भ : 1. म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 6209/22/वि.क/भोपाल दिनांक 01.06.2018
2. अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 10629 दिनांक 17.09.2020

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 02 अक्टूबर से 31 जनवरी 2021 तक ''सबकी योजना सबका विकास'' जन अभियान अंतर्गत प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) वर्ष 2021–22 के निर्माण के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। वहीं संदर्भित पत्र के माध्यम से पूर्व में ग्राम पंचायतों के स्तर पर योजना निर्माण और क्रियान्वयन हेतु मिशन अन्त्योदय कार्यकम अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) गठन संबंधी निर्देश जारी किये गये थे। उसी अनुक्रम में वर्तमान में चलाये जा रहे जीपीडीपी जन अभियान एवं मिशन अन्त्योदय सर्वे के क्रियान्वयन हेतु इस जिला स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) का गठन किया जाना है। यह समिति शासकीय विभागों व अन्य लाइन विभागों तथा अन्य संस्थाओं के आपसी समन्वयन एवं वित्तीय संसाधनों के समन्वयन (कन्जवेजेन्स) हेतु कार्य करेगी, समिति का ढांचा निम्नानुसार है –

1. अध्यक्ष – कलेक्टर
2. संयुक्त सचिव – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
3. सदस्य – निम्न विभागों के जिला स्तरीय शीर्षस्थ/प्रभारी अधिकारी

1. किसान कल्याण एवं कृषि विभाग
2. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
3. खाद नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
4. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
5. ऊर्जा
6. आदिमजाति कल्याण विभाग
7. अनुसूचित जाति कल्याण
8. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल
9. सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण
10. स्कूल शिक्षा
11. महिला एवं बाल विकास
12. पशुपालन
13. मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग
14. कुटीर एवं ग्राम उद्योग
15. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण

16. योजना एवं सांख्यिकी
17. जिला पंचायत अंतर्गत संचालित योजनाओं/परियोजनाओं/एनआरजीएस/आजीविका मिशन/वाटरशेड मिशन/एमडीएम/एसबीएम के अधिकारी
18. जिले में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि

समिति के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार होंगे –

1. जिले की समस्त ग्राम पंचायतों की विशिष्ट आवश्यकताओं, वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये समस्त शासकीय विभागों की विभिन्न योजनाओं और वित्तीय स्रोतों के अभिसरण से ऐसे समस्त कार्यों का निर्धारण करना, जिसके क्रियान्वयन से ''ग्राम पंचायत विकास योजना'' व ''मिशन अन्त्योदय'' कार्यक्रम के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो जावें।
2. सहभागी शासकीय विभागों के निर्धारित कार्यों को सम्मिलित कर ग्राम पंचायत स्तर से विस्तृत समिति यह सुनिश्चित करेगी कि समस्त विभागों की ग्राम पंचायतवार कार्य योजनाएं बनायी जाकर जीपीडीपी प्लान में सम्मिलित कराना सुनिश्चित करें।
3. ग्राम पंचायत स्तरीय विस्तृत कार्ययोजना और वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन और समय सीमा में क्रियान्वयन करना। इस हेतु उपरोक्त में उल्लेखित अंतर्विभागीय समन्वयन विभागों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को प्रदाय वित्तीय स्रोतों, सेवायें, हितग्राहीमूलक योजनायें एवं अधोसंरचनात्मक गतिविधियों की मेपिंग कर उक्त ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली राशियां, सेवायें, अधोसंरचनात्मक संसाधन आदि को ग्राम पंचायत विकास योजना में समाहित करना।
4. ग्राम पंचायतों द्वारा ली जाने वाली शून्य बजट, कम बजट गतिविधियों (जैसे – शराबबंदी, टीकाकरण, शाला में बच्चों की शत–प्रतिशत उपस्थिति, कुपोषित बच्चों का पोषण आहार, किशोरी बालिकाओं हाईजीन की स्वस्थता आदि) की कार्ययोजना बनवाकर विभागों के तकनीकी सपोर्ट सुनिश्चित करवाना।
5. पीआरआई–एसएचजी कवर्जेन्स के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास कार्ययोजना को सुदृढ़ करना, जिसमें वीपीआरपी प्लान (गरीबी उन्मूलन कार्ययोजना) का निर्माण आदि है।
6. उक्त विभागों के समन्वय हेतु आवश्यक रणनीति एवं मैकेनिज़म का निर्धारण एवं कठिनाइयों के निराकरण हेतु प्रशासकीय तकनीकी सहयोग और समन्वय।
7. मनरेगा से समन्वयन कर फेसीलिटेटर्स का मानदेय वितरण कराना एवं जीपीपीएफटी/वीपीपीएफटी द्वारा अभियान की समयावधि में किये जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण करना।
8. कलेक्टर की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग हेतु जिला एवं जनपद स्तरीय कार्य योजना का निर्माण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।

कृपया उपरोक्तानुसार जिला स्तरीय समन्वयन समिति का आवश्यक गठन हेतु आवश्यक कार्यवाही कर दिनांक 20.10.2020 तक जारी कर अवगत करावें एवं समिति गठन की प्रति एवं समिति के सदस्यों की सूची मो.नं. सहित संचालक पंचायत राज संचालनालय को उपलब्ध करावें एवं उपरोक्त कार्यवाहियां सुनिश्चित करने हेतु समिति की बैठक का आयोजन माह में कम से कम एक बार करना सुनिश्चित किया जावे एवं कृत कार्यवाही की समीक्षा मेरे द्वारा आगामी गुरुवार की वीसी में की जावेगी।

(मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मोबाइल एप्लीकेशन को स्मार्ट फोन पर इंस्टाल करने एवं एप के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर से कोविड–19 संबंधी जानकारी अपलोड करने हेतु निर्देश जारी

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/पं.रा./GPDP/2020/11014 **भोपाल, दिनांक 26.09.2020**

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत – समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत – समस्त

विषय : मोबाइल एप्लीकेशन को स्मार्ट फोन पर इंस्टाल करने एवं एप के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर से कोविड–19 संबंधी प्रगति की जानकारी नियमित रूप से अपलोड करने के संबंध में।

संदर्भ : 1. पंचायत राज संचालनालय का पत्र क्र. 10081 दिनांक 05.09.2020
2. पंचायत राज संचालनालय का पत्र क्र. 10334 दिनांक 10.09.2020

विषयांतर्गत संदर्भित–पत्र का अवलोकन करें, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायतों को स्मार्ट मोबाइल फोन पर "MP Panchayat Suraksha App" Install कर दिनांक 10.09.2020 तक कोविड से संबंधित प्रगति की जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिये गये थे।

ग्राम पंचायतों द्वारा मोबाइल एप पर जानकारी अपलोड करने की समीक्षा दिनांक 17.09.2020 की वीसी में मेरे द्वारा की गई थी जिसमें परिलक्षित हुआ कि केवल 9 जिले क्रमशः इंदौर, बैतूल, सिवनी, देवास, रायसेन, छतरपुर, आगर, मालवा, बालाघाट एवं गुना की 108 पंचायतों ने ही उक्त एप को डाउनलोड कर डाटा एन्ट्री की शुरुआत की है शेष 42 जिलों की ग्राम पंचायतों ने एप को डाउनलोड ही नहीं किया है जो कि अन्यन्त ही खेदजनक है।

अवगत होना चाहेंगे कि उक्त एप के माध्यम से राज्य शासन द्वारा पूर्व में गूगल शीट के माध्यम से की जा रही 17 बिन्दुओं की जानकारी अब एप के माध्यम से प्राप्त की जानी है साथ ही 46 अन्य बिन्दुओं की जानकारी जो कि मासिक रूप से संकलित की जाकर भारत शासन को भेजी जानी है भी संकलित नहीं की जा रही है।

अतः तत्काल अपने स्तर से सीईओ जनपद पंचायत एवं निचले स्तर पर सचिव/ग्राम रोज़गार सहायकों की बैठक आयोजन कर शत–प्रतिशत ग्राम पंचायतों में उपरोक्तानुसार एप को इंस्टाल कराकर जानकारियां नियमित रूप से अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

विशेष यह है कि उपरोक्त अनुसार एप पर जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में उक्त एप के माध्यम से जानकारी डेशबोर्ड पर प्रदर्शित हो सकेगी। जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सितंबर माह में किया जाना प्रस्तावित है यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार पत्र एवं तकनीकी निर्देश

(मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

क्रमांक/पं.रा./GPDP/2020/11015 **भोपाल, दिनांक 26.09.2020**

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. मनरेगा परिषद्/आजीविका मिशन/स्वच्छ भारत मिशन/रूर्बन मिशन/आवास योजना/वाटरशेड मिशन की ओर सूचनार्थ
3. संभाग आयुक्त समस्त की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संचालक वाल्मी, एसआईआरडी, एसजीआई, ईटीसी/पीटीसी की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक/जिलों के नोडल अधिकारी कोविड 19 सेल की ओर जिलों से आवश्यक समन्वयन एवं समेकन गूगल शीट के स्थान पर डेशबोर्ड के माध्यम से पूर्वानुसार संबंधित जिलों से दूरभाष से संपर्क करना सुनिश्चित करें।
7. जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग एवं माध्यम की ओर सूचनार्थ आवश्यक संप्रेषित।
8. डीडी/राज्य कार्यक्रम समन्वयक आरजीएसए की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. यूनिसेफ की ओर भेजकर लेख है कि अनुमोदन अनुसार तत्काल मोबाइल एप संबंधी सभी तकनीकी पहलुओं एवं एप के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
10. जीपीडीपी सपोर्ट सेल पंचायत राज भोपाल एवं संबंधित जिला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

प्रपत्र-अ

मो. एप के माध्यम से कोविड-19 संबंधी जानकारी अपलोड करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाने के तकनीकी निर्देश

1. स्मार्ट मोबाइल पर "MP Smart Panchayat App" निम्नानुसार APK File/Link से मोबाइल पर एप इंस्टाल किया जावे। जो कि पत्र के साथ पुनः अटेचमेंट के रूप में शेयर की जा रही है।
2. "MP Smart Panchayat App" अपलोड होने के पश्चात "Is your GP ready to fight against COVID-19" दिखाई देगी। जिसके आने पर 'Yes' पर क्लिक करें।
3. इसके बाद Get Blank Form पर क्लिक कर दोनों फार्म पहला "Daily reporting" प्रतिदिन भरें तथा दूसरा Monthly reporting पर क्लिक करें। तत्पश्चात Get Selected बटन पर क्लिक करें।
4. इसके बाद "Fill Blank Form" पर क्लिक कर दोनों फार्म पहला 'Daily reporting" प्रतिदिन भरें तथा दूसरा Monthly reporting का फार्म प्रतिमाह भरा जावे।
5. दिनांक 10 सितंबर 2020 तक का संचयी डाटा/जानकारी Daily reporting & 2 Monthly reporting फार्म में भरें, 10 सितंबर पश्चात प्रतिदिन की जानकारी अपडेट करें।
6. जानकारी की मॉनीटरिंग - जिला एवं जनपद पंचायत स्तर से डाटा एन्ट्री की मॉनीटरिंग निम्न लिंक के माध्यम से की जा सकती है http://www.itmcloud.org/cpc-gpmp/#/daily-dashboard
7. उपरोक्त लिंक के माध्यम से आप जिला एवं जनपद स्तर के लिये डेशबोर्ड है एवं उक्त लिंक से प्रगति की समीक्षा भी की जा सकती है।

मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर से कोविड–19 संबंधी सूचनाओं की रिपोर्टिंग रियल टाईम के आधार पर संधारित करने बावत्

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
भविष्य निधि कार्यालय के समीप
अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास), भोपाल
Telephone 0755–2557727, Fax–0755–2552899, E-mail adress : dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक 10081/पं.रा./RGSA/2020 **भोपाल, दिनांक 05.09.2020**

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत – समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत – समस्त

विषय : 10 सितंबर, 2020 से मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर से कोविड–19 संबंधी सूचनाओं की रिपोर्टिंग रियल टाईम बेसिस पर संधारित करने बावत निर्देश।

संदर्भ : भारत शासन पंचायती राज मंत्रालय का पत्र क्र. M–110115/76/2020–CB दिनांक 15.05.2020.

विषयांतर्गत संदर्भित–पत्र का अवलोकन करें, भारत शासन पंचायती राज मंत्रालय एवं राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड–19 से जनित परिस्थिति में ग्राम पंचायतों के द्वारा संचालित किये जा रहे विशेष गतिविधियों एवं कार्यवाहियों की मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिये गये हैं। इस परिप्रेक्ष्य में संचालनालय के द्वारा गूगल शीट के माध्यम से 31 बिन्दुओं पर जानकारी प्रतिदिन एकत्र की जाती रही है।

उक्त प्रक्रिया के आधार पर यह अनुभव किया गया है कि मुख्यालय स्तर पर प्रदेश की 22811 ग्राम पंचायतों की कोविड संबंधी जानकारी प्रतिदिन रियल टाईम बेसिस पर एकत्र संकलन एवं समेकन करने की आवश्यकता है, ताकि त्वरित रूप से यथा संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

संचालनालय स्तर से यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से उक्त चेक लिस्ट एवं राज्य शासन द्वारा चाही जाने वाली 17 बिन्दुओं की जानकारी प्रपत्र–1 (डेली रिपोर्टिंग प्रपत्र) एवं 46 बिन्दुओं वाली जानकारी प्रपत्र–2 (मासिक रिपोर्टिंग प्रपत्र) को सरलीकरण किया जाकर मोबाइल एप के माध्यम से एकत्र संकलन एवं समेकन हेतु विकसित किया गया है।

पंचायतराज संचालनालय के द्वारा दो चरणों में कोविड–19 के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका के विषय पर वर्चुअल क्लास के माध्यम से आयोजित प्रशिक्षणों के दौरान अवगत कराया गया है साथ ही प्रपत्रों को भरने एवं मोबाइल एप में वांछित जानकारी/डेटा को इन्ट्री करने की पद्धति एवं प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान की गई है।

इस संबंध में लिये गये निर्णय अनुसार 10 सितंबर, 2020 से सीधे ग्राम पंचायत द्वारा विविध जानकारियों की इन्ट्री मोबाइल एप में की जा सकेगी जो कि सीधे राज्य स्तर पर प्राप्त होगी।

मोबाइल एप से प्राप्त सूचनाओं एवं जानकारियों की गणना एवं विश्लेषण ऑनलाइन डेशबोर्ड पोर्टल के माध्यम से प्रभावी रूप से किया जा सकेगा। साथ ही मोबाइल एप को डाउनलोड करने हेतु वर्तमान में एपीके फाईल (APK File) इस पत्र के साथ भेजा जा रहा है, जिसके माध्यम से समस्त ग्राम पंचायतें एप डाउनलोड करेंगी।

विशेष यह है कि अपर मुख्य सचिव से हुई चर्चा अनुसार इस मोबाइल एप का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सितंबर के द्वितीय सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है अतः तदनुसार समस्त ग्राम पंचायतें मोबाइल एप के माध्यम से कोविड–19 से संबंधित अद्यतन प्रगति (माह अप्रैल से 09 सितंबर तक की) संकलित जानकारी मोबाइल एप पर अपलोड करना सुनिश्चित करें एवं दिनांक 10.09.20 से नियमित रूप से दैनिक जानकारी मोबाइल एप पर भरी जाकर भेजी जावेगी, इस हेतु पत्र के साथ संलग्न एपीके फाईल (मोबाइल एप) के लिंक के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतें एप डाउनलोड करेंगे, तदनुसार समस्त कार्यवाहियों की जानकारी एवं मोबाइल एप के लिंक सर्व संबंधितों को

अपने स्तर से जारी कर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियां दिनांक 09 सितंबर, 2020 तक पूर्ण कर ली जावें, तदनुसार सभी सीईओ जनपद पंचायत एवं सचिव ग्राम पंचायत/रोजगार सहायक मोबाइल एप के माध्यम से कोविड–19 संबंधी जानकारी सत्यापित कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि सीएम द्वारा लोकार्पण के समय सही जानकारी डेशबोर्ड पर प्रदर्शित हो सके।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :

1. एपीके फाईल (मोबाइल एप) डाउनलोड करने हेतु लिंक।
2. प्रपत्र 1 एवं 2 को भरने एवं मोबाइल एप में डेटा इन्ट्री हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं की वीडियो क्लिप एवं विस्तृत दिशा–निर्देश अनुलग्नक

(बी.एस. जामोद)
संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक 10082/पं.रा./RGSA/2020 **भोपाल, दिनांक 05.09.2020**

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. श्री आलोक प्रेम नागर संयुक्त सचिव भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
3. मनरेगा परिषद्/आजीविका मिशन/स्वच्छ भारत मिशन/रूर्बन मिशन/आवास योजना/वाटरशेड मिशन की ओर सूचनार्थ।
4. संभाग आयुक्त समस्त की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर जिला समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संचालक/उप संचालक/जिलों के नोडल अधिकारी कोविड–19 सेल की ओर जिलों से आवश्यक समन्वयन एवं समेकन गूगल शीट के स्थान पर डेशबोर्ड के माध्यम से पूर्वानुसार संबंधित जिलों से दूरभाष से संपर्क कर करना सुनिश्चित करें।
7. डीडी/राज्य कार्यक्रम समन्वयक आरजीएसए की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. यूनिसेफ की ओर भेजकर लेख है कि अनुमोदन अनुसार तत्काल मोबाइल एप संबंधी सभी तकनीकी पहलुओं एवं एप के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
9. जीपीडीपी सपोर्ट सेल पंचायत राज भोपाल एवं संबंधित जिला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

मोबाइल एप्लीकेशन को स्मार्ट फोन पर इंस्टाल करने एवं एप के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर से कोविड–19 संबंधी प्रगति की जानकारी अपलोड करने बावत्

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
भविष्य निधि कार्यालय के समीप
अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास), भोपाल
Telephone 0755-2557727, Fax-0755-2552899, E-mail adress : dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक 10334/पं.रा./RGSA/2020 **भोपाल, दिनांक 10.09.2020**

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत – समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत – समस्त

विषय : मोबाइल एप्लीकेशन को स्मार्ट फोन पर इंस्टाल करने एवं एप के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर से कोविड–19 संबंधी प्रगति की जानकारी नियमित रूप से अपलोड करने के संबंध में।

संदर्भ : कार्यालयीन पत्र क्र. 10081 दिनांक 05.09.2020

विषयांतर्गत संदर्भित–पत्र का अवलोकन करें, भारत शासन पंचायती राज मंत्रालय एवं राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड–19 से जनित परिस्थिति में ग्राम पंचायतों के द्वारा संचालित किये जा रहे विशेष गतिविधियों एवं कार्यवाहियों की मॉनीटरिंग की जानकारी जो कि प्रत्येक दिवस गूगल शीट के माध्यम से पंचायत राज संचालनालय में प्रेषित की जा रही थी, उक्त जानकारी तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायतों द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से भेजी जानी है।

जैसा कि आप अवगत हैं कि दिनांक 18 से 24 अगस्त के बीच में मोबाइल एप से जानकारी अपलोड करने हेतु प्रशिक्षण दिया जा चुका है साथ ही जिसके संबंध में विस्तृत निर्देश संदर्भित पत्र के माध्यम से दिये जा चुके हैं, मोबाइल एप से कोविड–19 संबंधी जानकारी अपलोड करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जानी है :–

1. स्मार्ट मोबाइल पर "MP Smart Panchayat App" निम्नानुसार APK File/Link से मोबाइल पर एप इंस्टाल किया जावे। जो कि पत्र के साथ पुनः अटेचमेंट के रूप में शेयर की जा रही है।
2. "MP Smart Panchayat App" अपलोड होने के पश्चात "Is your GP ready to fight against COVID-19" दिखाई देगी। जिसके आने पर "Yes" क्लिक करें।
3. इसके बाद Get Blank Form पर क्लिक करें और दोनों फार्म पहला "Daily reporting" प्रतिदिन भरें तथा दूसरा Monthly reporting पर क्लिक करें। तत्पश्चात Get Selected बटन पर क्लिक करें।
4. इसके बाद "Fill Blank Form" पर क्लिक कर दोनों फार्म पहला "Daily reporting" प्रतिदिन भरें तथा दूसरा Monthly reporting का फार्म प्रतिमाह भरा जावे।
5. दिनांक 10 सितंबर 2020 तक का संचयी डाटा/जानकारी Daily reporting & 2 Monthly reporting फार्म में भरें, 10 सितंबर पश्चात प्रतिदिन की जानकारी अपडेट करें।
6. जानकारी की मॉनीटरिंग – जिला एवं जनपद पंचायत स्तर से डाटा एन्ट्री की मॉनीटरिंग निम्न लिंक के माध्यम से की जा सकती है http://www.itmcloud.org/cpc-gpmp/#/daily-dashboard
7. उपरोक्त लिंक के माध्यम से आप जिला एवं जनपद स्तर के लिये डेशबोर्ड है एवं उक्त लिंक से प्रगति की समीक्षा भी की जा सकती है।

विशेष यह है कि उपरोक्त मोबाइल एप का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सितंबर माह के द्वितीय सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है अतः यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए सीईओ जनपद पंचायत एवं सचिव ग्राम पंचायत/रोज़गार सहायक को अपने स्तर से निर्देश जारी करते हुए तत्काल अद्यतन जानकारी शत-प्रतिशत जानकारी 3 दिवस में ग्राम पंचायतों में अपलोड कराना सुनिश्चित करें, ताकि सीएम लोकार्पण समय सही जानकारी डेशबोर्ड पर प्रदर्शित हो सके।

मोबाइल एप से संबंधित तकनीकी जानकारी/निदान हेतु श्री विवेक शर्मा, स्टेट कन्सलटेंट यूनिसेफ मो.नं. 9835352784 एवं श्री अमित शर्मा सलाहकार आईटी मो. नं. 8827437662 से संपर्क किया जा सकता है।

(बी.एस. जामोद)
संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक 10335/पं.रा./RGSA/2020 **भोपाल, दिनांक 10.09.2020**

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. श्री आलोक प्रेम नागर संयुक्त सचिव भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
3. मनरेगा परिषद्/आजीविका मिशन/स्वच्छ भारत मिशन/रूर्बन मिशन/आवास योजना/वाटरशेड मिशन की ओर सूचनार्थ।
4. संभाग आयुक्त समस्त की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर जिला समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संचालक/उप संचालक/जिलों के नोडल अधिकारी कोविड-19 सेल की ओर जिलों से आवश्यक समन्वयन एवं समेकन गूगल शीट के स्थान पर डेशबोर्ड के माध्यम से पूर्वानुसार संबंधित जिलों से दूरभाष से संपर्क कर करना सुनिश्चित करें।
7. डीडी/राज्य कार्यक्रम समन्वयक आरजीएसए की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. यूनिसेफ की ओर भेजकर लेख है कि अनुमोदन अनुसार तत्काल मोबाइल एप संबंधी सभी तकनीकी पहलुओं एवं एप के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
9. जीपीडीपी सपोर्ट सेल पंचायत राज भोपाल एवं संबंधित जिला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

सबकी योजना सबका विकास ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु विशेष अभियान

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/पं.रा./GPDP/2020/493 **भोपाल, दिनांक 30.09.2020**

प्रति,

1. **अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।**
2. **प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, भोपाल।**
3. **प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय, भोपाल।**
4. **प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।**
5. **प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।**
6. **प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।**
7. **प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।**
8. **प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।**
9. **प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।**
10. **प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।**
11. **प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।**
12. **प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।**
13. **प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मत्स्य पालन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।**
14. **प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।**
15. **प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, मंत्रालय, भोपाल।**
16. **प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।**
17. **प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।**

विषय : **''सबकी योजना सबका विकास'' ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) हेतु विशेष अभियान क्रियान्वित किये जाने के संबंध में।**

संदर्भ : सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक M-11015/159/2019/CB, दिनांक 18 अगस्त, 2020

संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ''सबकी योजना सबका विकास'' अंतर्गत वर्ष 2021-22 की प्रत्येक ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत योजना (Gram Panchayat Development Plan) तैयार करने के लिए दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक एक जन अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

अभियान में पंचायतों को हस्तांतरित 29 विषयों से संबंधित विभिन्न विभागों की सक्रिय सहभागिता अपेक्षित की गई है। अभियान के संबंध में प्राप्त पत्र एवं दिशा-निर्देश/मार्गदर्शिका संलग्न है, तद्नुसार आपके विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही नियत समयावधि में संपादित की जाना है -

1. **राज्य एवं जिला स्तरीय नोडल अधिकारी का जीपीडीपी पोर्टल पर पंजीयन -** अभियान के लिये आपके विभाग की ओर से राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी एवं 51 जिलों में जिला स्तरीय नोडल अधिकारी का नामांकन आपके स्तर से किया जाना है इस हेतु नामांकित नोडल अधिकारी का नाम, पद, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. सहित जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि पंजीयन पोर्टल पर किया जा सके।
2. ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिये आयोजित ग्राम सभा/पंचायत प्रशासन समिति की बैठक में आपके विभाग की योजनाओं का Annexure-VII में प्रस्तुतिकरण किया जाना है इस हेतु ग्राम पंचायतवार क्षेत्रीय कर्मियों (Frontline

Workers) की नियुक्ति आपके स्तर से की जानी है नियुक्त पंचायतवार क्षेत्रीय कर्मियों (Frontline Workers) द्वारा उक्त प्रस्तुतिकरण के साथ चिन्हित विभागीय गतिविधियों हेतु हितग्राहियों/कार्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. जिला स्तर पर समन्वय हेतु जिला कलेक्टर को अभियान हेतु नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इस कार्य में कलेक्टर के सहायक रहेंगे।
4. मिशन अन्त्योदय सर्वे हेतु राज्य स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमपीएसआरएलएम को नोडल अधिकारी रहेंगे, श्री सुधीर जैन उपायुक्त एमपीएसआरएलएम से सहायक नोडल अधिकारी रहेंगे, मिशन अन्त्योदय सर्वे प्रति शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों का होना है जिसमें सभी सेक्टर/लाइन विभागों से संबंधित ग्राम पंचायत स्तरीय जानकारी कुल 143 बिन्दुओं/पैरामीटर्स के आधार पर भरी जानी है अतः सभी संबंधित लाइन विभागों अपने-अपने फ्रन्ट लाइन वर्कर्स/सीआरपीएस के माध्यम से सर्वे के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए जानकारी संधारित करायें। जिला स्तर पर डीपीएम एमपीएसआरएलएम सर्वे के नोडल अधिकारी रहेंगे।
5. मिशन अन्त्योदय सर्वे मोबाइल एप पर अपलोड करने से संबंधित समस्त कार्यवाहियां राज्य स्तर पर राज्य परियोजना प्रबंधक आईटी एसआरएलएम नोडल अधिकारी रहेगा। जिला स्तर पर सर्वे हेतु तकनीकी रूप से प्रशिक्षण एवं तकनीकी सपोर्ट हेतु जिला पंचायत में पदस्थ डेटा मैनेजर मनरेगा एवं ई-गवर्नेंस सोसायटी तकनीकी (टेक्निकल) नोडल अधिकारी रहेंगे। जिनसे लाईन विभाग के जिला एवं जनपद अधिकारी भी सर्वे से संबंधित तकनीकी समन्वयक एवं सहयोग प्राप्त कर सकेंगे।
6. मिशन अन्त्योदय सर्वे एवं जीपीडीपी प्रशिक्षण एवं समस्त पोर्टल का प्रशिक्षणों का क्रियान्वयन का दायित्व संचालक एसआईआरडी, जबलपुर का रहेगा जिसके अंतर्गत मिशन अंत्योदय सर्वे/पीआरआई एसएचजी संबंधित प्रशिक्षण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमपीएसआरएलएम से समन्वयन कर करेंगे एवं अभियान अंतर्गत जीपीडीपी प्रशिक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही संचालक पंचायत राज संचालनालय पीएमयू आरजीएसए से समन्वयन कर करेंगे।
7. अभियान के अंतर्गत समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग प्रक्रिया तथा दिशा-निर्देश भारत सरकार के पोर्टल www.gpdp.nic.in एवं missionantyodaya.nic.in पर उपलब्ध है।
8. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से श्री विवेक दबे संयुक्त आयुक्त (मो.नं. 9425373332) मनरेगा एवं श्री अनिल कोचर उपायुक्त (मो.नं. 9131805007) मिशन अन्त्योदय सर्वे में वित्तीय एवं मानव संसाधन व्यवस्था एवं जीपीडीपी हेतु अंतर्विभागीय समन्वयन (18 विभाग) हेतु नोडल अधिकारी रहेंगे।
9. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से समन्वय हेतु वी.के. त्रिपाठी उप संचालक आई.टी. (9425921500) नोडल अधिकारी रहेंगे जो कि जीपीडीपी/ई-ग्राम स्वराज संबंधी गतिविधियों/तकनीकी समस्याओं का निदान करेंगे।
10. श्री प्रफुल्ल जोशी राज्य कार्यक्रम समन्वयक आरजीएसए (मो. 8770239932) अभियान अंतर्गत होने वाले गतिविधियों/प्रशिक्षणों के अनुश्रवण एवं विभागीय समन्वय हेतु पंचायत राज संचालनायल से नोडल अधिकारी रहेंगे।
11. राज्य स्तर पर अभियान के क्रियान्वयन हेतु पीएमयू गठित किया गया है जिनसे समन्वयन हेतु संपर्क किया जा सकता है।

- अनिल कोचर उपायुक्त (मो.नं. 9131805007)
- श्री शैलेन्द्र भदौरिया (एसपीएम आईटी एसआरएलएम) मो.नं. 8349901016
- श्री दीपक गौतम (राज्य प्रोग्रामर आईटी) मो.नं. 9009285881
- श्री अमित शर्मा कन्सलटेंट (पीएमयू आईटी) मो.नं. 8827437662 (1)
- श्री जितेन्द्र पण्डित स्टेट लीड (SUTRA-TRIF) मो.नं. 9425048121
- श्री सौरव दत्ता कन्सलटेंट (प्रशिक्षण एवं आईईसी) मो.नं. 9977689696 (2)

(1) पोर्टल एवं आईटी एवं मिशन अन्त्योदय सर्वे हेतु
(2) जीपीडीपी क्रियान्वयन एवं विभागीय समन्वयन

अतः आपके विभाग से नियुक्त राज एवं जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों की जानकारी संलग्न निर्धारित प्रारूप में विभाग के ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.in एवं mpprd.rgsa@mp.gov.in पर भेजने का कष्ट करेंगे, साथ ही अपने अधीनस्थ जिला एवं जनपद अधिकारियों को यथा आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करेंगे।

(मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग